[2021] 3 एस. सी. आर 114

अरुण कुमार जगतरामका

वी.

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। & एएनआर।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9664)

15 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एस. 29ए-समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति समझौते के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्रवर्तक की पात्रता और

व्यवस्था, जबकि वह अपात्र है। 29ए 'प्रस्ताव' प्रस्तुत करने के लिए

योजना '-तथ्यों पर, जी. एन. सी. एल. द्वारा आवेदन, के लिए निगमित देनदार

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को स्वीकार किया गया और जी. एन. सी. एल. के अपीलकर्ता-प्रवर्तक ने जी. एन. सी. एल. के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत की-हालांकि, एस. 29ए, जो किसी व्यक्ति को समाधान आवेदक होने से अयोग्य ठहराता है यदि वह एक प्रवर्तक या कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है, तो अपीलार्थी समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हो गया-कोई समाधान योजना नहीं

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित और उसके अभाव में, एन. सी. एल. टी. द्वारा परिसमापन का आदेश-एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, आवेदन यू/एस. एस. 230 अपीलार्थी द्वारा 2013 के अधिनियम के 232 तक-एन. सी. एल. टी. के समक्ष जी. एन. सी. एल. के प्रवर्तक ने समझौते के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया और

समझौता और व्यवस्था की एक योजना के प्रस्ताव से यू / 2013 के अधिनियम का s.230-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस में संसद द्वारा रखा गया निषेध। 29ए और एस। 35 (1) (च) समझौता या व्यवस्था की किसी योजना से भी खुद को जोड़ना चाहिए। 230 2013 के अधिनियम के तहत, जब कंपनी आई. बी. सी. के तत्वावधान में परिसमापन के दौर से गुजर रही है-इस प्रकार, विनियमन 2बी, विशेष रूप से विनियमन 2बी (1) का प्रावधान भी संवैधानिक रूप से मान्य है-विनियमन 2बी के अभाव में भी, एक अयोग्य व्यक्ति यू/एस। 29एस के साथ पढ़ा। 35 (1) (

च) पुनरोद्धार के लिए किसी योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है। 230 , एक कंपनी के मामले में जो आई. बी. सी. के तहत परिसमापन से गुजर रही है-एक के मामले में

114 अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड।

आई. बी. सी. के तहत परिसमापन से गुजर रही कंपनी, एक योजना

प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था यू/एस। 230 परिसमापन प्रक्रिया का एक पहलू समझौता की योजना का उद्देश्य है या

व्यवस्था कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए है वही तर्क जो समाधान प्रक्रिया यू/एस में व्याप्त है। 29ए परिसमापन प्रक्रिया यू/एस में प्रवेश करता है। 35 (1) (च)-भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 विनियमन 2बी-कंपनियाँ

अधिनियम, 2013 एस एस। 230 232 तक।

अच्छे निगमों के हितकारी उद्देश्यों को लागू करना।

शासन और कानून के शासन के प्रति सम्मान और पालन; और इसके तहत दिवालियों का पुनर्गठन और समाधानः यदि समाधान प्रक्रिया की अखंडता को रखा जाता है तो प्राप्त किया जा सकता है

सबसे आगे-अदालतों द्वारा इसके प्रावधानों में अर्थ और विषय-वस्तु डालते हुए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछली सरकार को घेरने वाली समस्याएं पिछले दरवाजे से कपटपूर्ण रणनीति के माध्यम से प्रवेश न करें।

एस. 29ए-समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति

अयोग्यता का उद्देश्य-आयोजितः एक स्थायी हासिल करने के लिए है

पुनरुत्थान और यह सुनिश्चित करना कि एक व्यक्ति जो या तो एक योजना या डिफ़ॉल्ट रूप से समस्या का कारण है, समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है। 29ए में न केवल निगमित देनदार के संबंध में बल्कि अन्य कंपनियों के संबंध में भी आचरण शामिल है। एसएस। 29ए, 35 (1) (एफ)-समझौते की योजना के प्रस्ताव और व्यवस्था के बीच अंतःक्रिया 2013 के अधिनियम का s.230 और

आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई परिसमापन कार्यवाही-आयोजितः एस. 230 2013 के अधिनियम का दायरा व्यापक है-यह केवल एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है

परिसमापन में या निगमित देनदार के लिए जिसे समाप्त किया जा रहा है

आई. बी. सी. का अध्याय III-इस प्रकार, आई. बी. सी. की कठोरताएँ इन पर लागू नहीं होंगी

कार्यवाही यू/एस। 230 2013 के अधिनियम में जहां प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था की योजना एक ऐसी इकाई के संबंध में है जो आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही का विषय नहीं है-हालांकि, जहां एस.

230 2013 के अधिनियम की उत्पत्ति परिसमापन से हुई है। आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई कार्यवाही, दोनों कानूनों के बीच सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि

समझौता या व्यवस्था यू/एस। 230 आई. बी. सी. के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है-यह एक स्पष्ट बेतुकी बात होगी यदि वही व्यक्ति जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हैं, [2021] 3 एस. सी. आर. की संपत्तियों की बिक्री में भाग लेते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता या व्यवस्था यू/एस। 230 2013 के अधिनियम-आई. बी. सी. ने यू/एस. के लिए अयोग्यता का प्रावधान किया है। 29 ए जो इस दौरान काम करता है सी. आई. आर. पी. का पाठ्यक्रम-समान प्रावधान, एस। 35 (1) (च) अध्याय III में निहित परिसमापन प्रावधानों का भी एक हिस्सा है -

एस के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए वैधानिक संबंध का संदर्भ। 230 आई. बी. सी. के अध्याय III के साथ 2013 के अधिनियम के अनुसार, यह अभिनिर्धारित करना दूरगामी होगा कि जो अयोग्यताएँ यू/एस से जुड़ी हैं। 35 (1) (च) आर/डब्ल्यूएस। 29 ए तब लागू नहीं होगा जब एस। 230 आह्वान किए जाने की मांग की जाती है-जैसे

एक व्याख्या के परिणामस्वरूप आई. बी. सी. के प्रावधान विफल हो जाते हैं और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए-एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के चरण, परिसमापन में एक कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचना और परिसमापन के दौरान कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में बेचना, सभी इंगित करते हैं कि प्रवर्तक या कंपनी के प्रबंधन में उन लोगों को कंपनी में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए, इन चरणों के दौरान भाग लेने के लिए अयोग्य हैं-समझौता या व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव करना। 230 2013 के अधिनियम के तहत, जबकि कंपनी आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत परिसमापन के दौर से गुजर रही है

समान निरंतरता-कंपनी अधिनियम, 2013-एस. एस. 230 232 तक।

एसएस। 6 32 ए तक-आईबीसी के प्रावधानों के तहत कंपनी के पुनरुद्धार के तरीके-समझाया गया।

एस. 12 ए-आवेदन वापस लेना-यू/एस. एस. द्वारा स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेना। 7 , 9 और 10-चर्चा की गई।

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016: विनियमन 2 बी-की संवैधानिक वैधता-आयोजित: नियम 2 बी में यह प्रावधान है कि जहां समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है। 230 2013 के अधिनियम की उप-धारा (1) और (4) के तहत परिसमापन के आदेश के नब्बे दिनों के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। 33- विनियमन 2 बी के प्रावधान में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो आईबीसी के तहत पात्र नहीं है, वह दिवालिया होने के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है।

निगमित देनदार का समाधान इस तरह के समझौते या व्यवस्था के लिए किसी भी तरह से एक पक्ष नहीं होगा-विनियमन 2 बी, विशेष रूप से परंतुक

विनियमन 2 बी (1) संवैधानिक रूप से मान्य है।

अपीलों और रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संसद द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) को भी समझौते की योजना या अरुण कुमार जगरामका बनाम से जोड़ा जाना चाहिए।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

विनियम, विशेष रूप से विनियम 2 बी (1) का प्रावधान भी संवैधानिक रूप से मान्य है। [पैरा 91] [192-सी-डी] 2. धारा 29 ए को यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है कि आई. बी. सी. के उद्देश्यों को "अयोग्य व्यक्तियों" को अनुमति देकर पराजित नहीं किया जाता है, जिसमें वे भी शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं।

प्रबंधन जिन्होंने समाधान आवेदकों के नए अवतार में लौटने के लिए कंपनी को चलाया है। धारा 35 (1) (च) को उसी निरंतरता में रखा गया है जब न्यायालय यह देखता है कि किसी निगमित देनदार के पूर्व प्रवर्तकों को परिसमापन में निगमित देनदार की संपत्ति के लिए बोली लगाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। मानों को

जो धारा 29 ए को सक्रिय करती है, उसी श्रेणी के व्यक्तियों को परिसमापन की प्रक्रिया से बाहर रखने के अंतर्निहित तर्क को पोषण प्रदान करना जारी रखती है, जिसमें बिक्री शामिल है।

धारा 35 (1) (च) के प्रावधानों के आधार पर परिसंपत्तियाँ। [पैरा 52] [166-बी-डी]

चित्रा शर्मा बनाम। भारत संघ (2018) 18 एससीसी 575: [2018] 12 एस. सी. आर. 1044; आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एससीआर 362; फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम। कुदाल।

वित्तीय सेवा 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 51; रमेश कैमल बनाम। मेसर्स सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड [2021] 3 एस. सी. सी. 224; अनुज जैन, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम. एक्सिस बैंक सीमित (2020) 8 एस. सी. सी. 401-पर निर्भर।

3. धारा 29 ए के तहत अयोग्यता का उद्देश्य एक स्थायी पुनरुद्धार प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति जो है

डिजाइन या डिफ़ॉल्ट रूप से समस्या का कारण समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है। धारा 29 ए में न केवल निगमित देनदार के संबंध में बल्कि अन्य कंपनियों के संबंध में भी आचरण शामिल है। [पैरा 53] [166-एफ-जी] 4.1 2013 के अधिनियम की धारा 230 को अध्याय XV में शामिल किया गया है जिसका शीर्षक है "समझौता, व्यवस्था और

समामेलन "। धारा 230 की उप धारा (1) के तहत समझौता या व्यवस्था हो सकती है: एक कंपनी [2021] 3 एस. सी. आर.

और इसके लेनदारों या लेनदारों का कोई उपसमूह; या किसी कंपनी और उसके सदस्यों या सदस्यों के उपसमूह के बीच। परिसमापन एक है

तथ्यात्मक स्थितियाँ जिनमें धारा 230 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। धारा 230 (1) को उस कंपनी के मामले में भी लागू किया जा सकता है जो समाप्त हो गई है, जैसा कि वैधानिक प्रावधान से ही स्पष्ट है, जिसमें विचार किया गया है कि परिसमापक द्वारा न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए एन. सी. एल. टी. को एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। एन. सी. एल. टी. द्वारा समझौता या व्यवस्था की मंजूरी मिलने पर, यह कंपनी, सभी लेनदारों या सदस्यों या उनमें से एक वर्ग, जैसा भी हो, या किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम या आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक को बाध्य करता है।

2013. धारा 230 की उप-धारा (1) को हालांकि 15 नवंबर 2016 से संशोधित किया गया था ताकि आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए गए परिसमापक के आवेदन पर प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की योजना की अनुमति दी जा सके। अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 230 आई. बी. सी. द्वारा विनियमित नहीं है, बल्कि इससे स्वतंत्र एक प्रावधान है, हालांकि उप-धारा (1) के संशोधन के बाद, इसके तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा एक समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित की जा सकती है। आई. बी. सी.; कि मेघल गृहों के मामले में निर्णय यह मानता है कि परिसमापक एक अतिरिक्त व्यक्ति है जो 1956 के अधिनियम की धारा 391 (2013 के अधिनियम की धारा 230 के अनुरूप) के तहत आवेदन जमा कर सकता है। हालाँकि, प्रस्तुतिकरण 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों के बीच एक कंपनी के साथ उनके जुड़ाव में महत्वपूर्ण अंतरफलक से चूक जाता है।

जिनके संबंध में आईबीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आईबीसी की धारा 33 के तहत परिसमापन का आदेश दिया गया है। आई. बी. सी. के तहत कंपनी का परिसमापन अंतिम मामला है।

रिसॉर्ट। धारा 33 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले एन. सी. एल. टी. से निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करने की अपेक्षा करती है जहाँः दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति या इसे पूरा करने के लिए विचार की गई अधिकतम अवधि से पहले उप-प्रावधान के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है।

धारा 30 की धारा (6) या समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया है अरुण कुमार जगरामका v.

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

प्रावधान की आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए धारा 31 के तहत। [पैरा 64] [171-एच; 172-ए-ई]

मेघल होम्स प्रा. लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी के. के. समिति (2007) 7 एससीसी 753: [2007] 9 एस. सी. आर. 330; मिहिर एच. मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1997) 1 एससीसी

579 [1996] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

5.2 धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को परिसमापन आदेश पारित करना होता है जहां संकल्प

पेशेवर, सी. आई. आर. पी. के दौरान लेकिन समाधान योजना की पुष्टि से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करता है

सी. ओ. सी. द्वारा निगमित देनदार को परिसमापन करने के लिए कम से कम 66 प्रतिशत मतदान शेयरों द्वारा अनुमोदित निर्णय। धारा 34 के तहत, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करने पर, अध्याय II के तहत सी. आई. आर. पी. के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर परिसमापन के उद्देश्य से परिसमापक के रूप में कार्य करेगा। धारा 35 यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है कि न्यायनिर्णायक के निर्देशों के अधीन

प्राधिकरण, परिसमापक के पास प्रावधान में उल्लिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे। [पैरा 65] [172-एफ-एच]

5.3 तीन तरीके हैं जिनमें एक पुनरुद्धार है

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत विचार किया गया। इनमें से पहला

विनियमन 32 के खंड (ई) और (एफ) के दायरे में। तीसरा तब है जब 2013 के अधिनियम की धारा 230 में प्रदान किए गए तौर-तरीकों के माध्यम से पुनरुद्धार पर विचार किया जाता है। की एक योजना धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था, एक कंपनी के संदर्भ में जो आई. बी. सी. के तहत परिसमापन में है, धारा 33 के तहत एक आदेश और धारा 34 के तहत परिसमापक की नियुक्ति का पालन करती है। जबकि आई. बी. सी. में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों की कोई प्रत्यक्ष मान्यता नहीं है, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा वाई शिवराम प्रसाद बनाम में एक निर्णय दिया गया था। एस धनपाल का मामला जिसमें एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यू/एस आदेश पारित करते समय। 230 , न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दोहरी भूमिका निभाएगा, एक आईबीसी के तहत परिसमापन के मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में और दूसरा एक आदेश [2021] 3 एस. सी. आर. पारित करने के लिए एक न्यायाधिकरण के रूप में।

यू/एस। 230 2013 के अधिनियम के अनुसार। एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय के बाद, 25 जुलाई 2019 को आई. बी. बी. आई. द्वारा परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में एक संशोधन किया गया था ताकि 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का उल्लेख किया जा सके। [पैरा 67] [173-सी-जी]

वाई शिवराम प्रसाद बनाम। एस धनपाल 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 172-अनुमोदित।

5.4 आई. बी. सी. में अंतर्निहित सांविधिक योजना और अधिनियम की धारा 230 के साथ इसके जुड़ाव का विधायी इतिहास

2013 , परिसमापन में एक कंपनी के संदर्भ में, तत्काल मामले में विवाद के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। पहला बिंदु यह है कि आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत परिसमापन कार्यवाही के पूरे सरगम का अनुसरण करता है।

उस कानून के तहत विचार किया गया। ध्यान देने योग्य दूसरा बिंदु यह है कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान पुनरुद्धार के तरीकों में से एक की परिकल्पना धारा 230 के सक्षम प्रावधानों में की गई है।

2013 का अधिनियम, जिसके लिए आई. बी. सी. की धारा 34 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा सहारा लिया जा सकता है। तीसरा बिंदु यह है कि परिसमापक की वैधानिक रूप से विचार की गई गतिविधियाँ धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की योजना को आमंत्रित करते समय बंद नहीं होती हैं। आई. बी. सी. परिसमापन में परिसमापक की नियुक्ति धारा 34 में प्रदान की गई है और उनके कर्तव्य धारा 35 में निर्दिष्ट हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए, आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक, निगमित देनदार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है ताकि उसे निगमित मृत्यु की संभावना से बचाया जा सके। पुनरुद्धार या समझौते की योजना की मंजूरी और उसके बाद उप-धारा (6) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी का परिणाम यह है कि यह योजना परिसमापक सहित हितधारकों पर एक बाध्यकारी चरित्र प्राप्त करती है जिसे आई. बी. सी. के तहत नियुक्त किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अधिनियम की धारा 230

2013 यह एक स्वतंत्र प्रावधान है जिसका आई. बी. सी. के प्रावधानों से कोई संबंध नहीं है। निस्संदेह, 2013 के अधिनियम की धारा 230 इसके दायरे में इस अर्थ में व्यापक है कि यह केवल परिसमापन में एक कंपनी या कॉर्पोरेट देनदार तक ही सीमित नहीं है।

आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत समाप्त। जाहिर है, इसलिए, आई. बी. सी. की कठोरता 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जहां समझौते की योजना या अरुण कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड।

प्रस्तावित व्यवस्था एक इकाई के संबंध में है जो नहीं है

आई. बी. सी. के अधीन कार्यवाही का विषय। लेकिन, जब, तत्काल मामले की तरह, धारा 230 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया 2013 का अधिनियम इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है या, जैसा कि वर्णित किया जा सकता है, आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई परिसमापन कार्यवाही के लिए ट्रिगर, के दोनों सेटों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है

दो कानून यह सुनिश्चित करेंगे कि एक ओर धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। पीछा किया, यह इस तरह से होता है जो आई. बी. सी. के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप है क्योंकि योजना है

एक 'चालू संस्था' के रूप में निगमित देनदार को किसी भी तरह की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करने की अनुमति है। 2013 का अधिनियम। [पैरा 68] [174-ए-एच; 175-ए-सी]

5.5 आई. बी. सी. ने धारा 29ए के तहत अयोग्यता का प्रावधान किया है जो सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करता है। ए. इसी तरह का प्रावधान धारा 35 (1) (च) में उत्कीर्ण किया गया है जो अध्याय III में निहित परिसमापन प्रावधानों का भी एक हिस्सा है। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों द्वारा आई. बी. सी. के अध्याय III के साथ प्रदान किए गए वैधानिक संबंध के संदर्भ में, जहां परिसमापन में एक कंपनी की योजना प्रस्तावित की गई है।

व्याख्या के परिणामस्वरूप आई. बी. सी. के प्रावधान विफल हो जाएंगे और इसे त्याग दिया जाना चाहिए। [पैरा 69] [175-सी-एफ] 5.6 इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि आई. बी. सी. की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) के तहत अयोग्यताओं को 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते और व्यवस्था की योजना से जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

अपीलार्थी के रूप में संविधान को "अपात्र माना जाएगा" 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान योजना प्रस्तुत करना, किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचना

परिसमापन और परिसमापन के दौरान कंपनी को एक चालू चिंता के रूप में बेचना, सभी इंगित करते हैं कि प्रवर्तक या कंपनी के प्रबंधन में उन लोगों को पिछले दरवाजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कंपनी में प्रवेश और इसलिए, इन चरणों के दौरान भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव, जबकि कंपनी है

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत परिसमापन से गुजर रहा है समान निरंतरता। इस प्रकार, पूर्व स्थितियों में लागू होने वाले प्रतिबंधों को स्वाभाविक रूप से बाद वाले के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थितियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। [पैरा 70] [175-ई-एफ; 176-ए-सी]

सी. ओ. सी. के 90 प्रतिशत मतदान हिस्से के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा इस तरह से किया जाता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। दिवाला और दिवालियापन का नियम 8 (निर्णय लेने के लिए आवेदन) दूसरी ओर, प्राधिकरण) नियम, 2016 में विचार किया गया है कि एन. सी. एल. टी., न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, नियम 4 (वित्तीय लेनदार द्वारा), नियम 6 (परिचालन लेनदार द्वारा) या नियम 7 (निगमित आवेदक द्वारा) के तहत किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। विनियमन 30-दिवाला और दिवालियापन का ए

भारतीय बोर्ड (निगमों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

व्यक्ति) विनियम, 2016 में आवेदन वापस लेने के प्रावधान हैं। विनियमन 30-ए के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से था, धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए एक आवेदन आमंत्रित करने से पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

विनियमन 36-ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति। स्विस रिबन में निर्णय ने विनियमन 30-ए को प्रतिस्थापित किया जो निर्धारित करता है कि धारा 12-ए के तहत वापसी के लिए एक आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को किया जा सकता है: संविधान से पहले

आई. आर. पी. के माध्यम से आवेदक द्वारा सी. ओ. सी. का; और सी. ओ. सी. के गठन के बाद, आवेदक द्वारा आई. आर. पी. या आर. पी. के माध्यम से, जैसा भी मामला हो। हालांकि, जहां खंड (बी) के तहत आवेदन रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद किया जाता है, आवेदक को अरुण कुमार जगरामका बनाम के कारण बताने होते हैं।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

निमंत्रण जारी होने के बाद वापसी को उचित ठहराना। [पैरा 72] [178-बी-ई; 179-ए-बी; 180-ए-बी]

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2019)

4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; ब्रिलियंट अलॉयज (पी) लिमिटेड v. एस. राजगोपाल 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3154-संदर्भित को।

7.1 इस कथन में एक मौलिक भ्रांति है कि धारा 7,9 और 10 के तहत आवेदन वापस लेने पर, मामला यह हो सकता है कि कंपनी धारा 29ए के तहत अयोग्य होने के बावजूद उसी प्रवर्तक के पास वापस चली जाती है।

एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए, इस तरह, एक प्रवर्तक को प्रस्तुत करने से रोकने का कोई कारण या औचित्य नहीं है

धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना। धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए आवेदन का उद्देश्य समाधान प्रक्रिया की पराकाष्ठा नहीं है। यह, जैसा कि वैधानिक योजना से पता चलता है, प्रक्रिया की शुरुआत में है। नियम 8

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों में प्रवेश से पहले वापसी पर विचार किया गया है। धारा 12-सी. ओ. सी. के नब्बे प्रतिशत मतदान शेयरों के अनुमोदन की आवश्यकता के लिए एक आवेदन को वापस लेना, जिसे धारा 7,9 और 10 के तहत स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में निकासी आवेदक द्वारा की जाती है। निकासी से निगमित देनदार की देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनी रहती है। धारा 12-ए के तहत निकासी निपटान की प्रकृति में होती है, जिसे धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना और 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत स्वीकृत योजना दोनों से अलग किया जाना चाहिए। ए.

आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत अनुमोदन पर समाधान योजना निगमित देनदार, उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों (केंद्र और राज्य सरकारों सहित), स्थानीय अधिकारियों, गारंटरों और अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी है। समाधान योजना यू/एस का अनुमोदन। 31 एक "क्लीन स्लेट" में परिणाम। [पैरा 73,74] [181-डी-एच; 182-ए-सी]

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; लेनदारों की समिति

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता

(2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275-संदर्भित।

7.2 धारा 31 के अधीन निम्नलिखित लाभ

समाधान योजना की मंजूरी, यह है कि सफल समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाना शुरू करता है

" एक ताजा स्लेट "। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की योजना को निश्चित रूप से एक आवेदन के निकासी सरलीकरण के साथ नहीं माना जा सकता है, जैसा कि आई. बी. सी. की धारा 12-ए के तहत विचार किया गया है। समझौता करने की योजना या

उप-धारा (6) के तहत मंजूरी प्राप्त करने पर व्यवस्था

धारा 230 कंपनी, उसके लेनदारों और सदस्यों या व्यक्तियों या लेनदारों के एक वर्ग के साथ-साथ परिसमापक (2013 के अधिनियम या आई. बी. सी. के तहत नियुक्त) को बाध्य करती है। दोनों, आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत अनुमोदित होने पर समाधान योजना और होने पर समझौता या व्यवस्था की योजना

धारा 230 की उप-धारा (6) के तहत स्वीकृत,

प्रक्रिया की समाप्ति। इसे एक से अलग किया जाना चाहिए धारा 12-ए के तहत केवल आवेदन वापस लेना। वैधानिक संदर्भ में इन प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर है।

संदर्भ और उसके परिणाम और बाद वाले की तुलना पूर्व वाले के साथ नहीं की जा सकती है। [पैरा 75] [183-एफ-एच; 184-ए]

7.3 इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि धारा 35 (1) (च) केवल उस परिसमापक पर लागू होती है जो संपत्ति की बिक्री करता है।

परिसमापन में निगमित देनदार, लेकिन एन. एल. सी. टी. के लिए नहीं, जो न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, जब वह 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आई. बी. सी. के अध्याय III के प्रावधानों के तहत नियुक्त परिसमापक को कई शक्तियां सौंपी गई हैं और

कर्तव्य। आई. बी. सी. की धारा 37 से 42 शक्तियों का उदाहरण है।

परिसमापन के दौरान परिसमापक का। परिसमापक कई कार्यों का अभ्यास करता है जो एक अर्ध-न्यायिक प्रकृति और चरित्र के होते हैं। धारा 35 (1) स्वयं स्पष्ट करती है कि परिसमापक को सौंपी गई शक्तियाँ और कर्तव्य "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन" हैं। परिसमापक, दूसरे शब्दों में, उन कार्यों का प्रयोग करता है जिन्हें एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, जो

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अतः यह अभिनिर्धारित करना कि इसके अधीन विहित अयोग्यता

किसी योजना के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से न्यायाधिकरण द्वारा धारा 35 (1) (च) के प्रावधानों की अवहेलना की जा सकती है - 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था, एक कंपनी के संबंध में जो आईबीसी के तहत परिसमापन के तहत है, अरुण कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

कानून के प्रावधानों का सही निर्माण नहीं होगा। [पैरा 76] [184-बी-ई]

8. 25 जुलाई 2019 को लागू किए गए विनियम 2 बी (1) में प्रावधान है कि जहां समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है

2013 के अधिनियम की धारा 230 के अनुसार, यह धारा 33 की उप-धारा (1) और (4) के तहत परिसमापन के आदेश के नब्बे दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। विनियमन 2 बी के प्रावधान को 6 जनवरी 2020 से शामिल किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एक व्यक्ति जो आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं है, वह किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होगा।

इस तरह के समझौते या व्यवस्था के लिए। [पैरा 77] [184-एफ-जी]

9. आई. बी. बी. आई. ने अपने चर्चा पत्र में उल्लेख किया कि आई. बी. सी. की धारा 29-ए के तहत निर्धारित अयोग्यताओं की शुरुआत

2013 के अधिनियम की धारा 230 इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा करेगी। आई. बी. बी. आई. ने अपने प्रस्तावों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी। आई. बी. बी. आई. ने इस मुद्दे पर अपना विचार विकसित किया कि क्या 2013 के अधिनियम की धारा 230 पर धारा 29-ए को लागू किया जाना चाहिए। आई. बी. बी. आई. द्वारा 3 नवंबर 2019 को लाए गए चर्चा पत्र में चर्चा की गई -

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता और व्यवस्था के लिए आई. बी. सी. की धारा 29 ए की प्रयोज्यता। चर्चा पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एन. सी. एल. ए. टी. ने 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत आवेदन की अनुमति दी थी। इसके बाद, सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। चर्चा पत्र वह है जो सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय होने का दावा करता है। इसे आई. बी. बी. आई. की इस स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक आवेदक जो धारा 29 ए के तहत अयोग्य है, वह 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना प्रस्तुत कर सकता है। विनियमन 2 बी के प्रावधानों की वैधता, विशेष रूप से परंतुक, पर उनके अपने आधार पर विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 79,80,82] [185-जी-एच; 186-ई-एफ; 187-जी-एच]

10. आई. बी. बी. आई. को सौंपी गई शक्तियाँ और कार्य हैं -

आई. बी. सी. की धारा 196 में निर्दिष्ट। धारा 196 (1) (टी) आई. बी. बी. आई. को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। खंड (टी) सशक्त करता है आई. बी. बी. आई. दिवाला और दिवालियापन से संबंधित मामलों पर नियम और दिशा-निर्देश बनाएगा, जो आई. बी. सी. के तहत आवश्यक हो सकते हैं। धारा 240 (1) आई. बी. बी. आई. को 3 एस. सी. आर. बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

नियम। धारा 240 की उप-धारा (1) के तहत,

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अयोग्यता या अयोग्यता को लागू करना। यह था। प्रस्तुत किया कि आई. बी. बी. आई., आई. बी. सी. द्वारा गठित एक इकाई के रूप में, आई. बी. सी. की धारा 230 के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कोई वैधानिक अधिकार क्षेत्र नहीं था।

2013 का अधिनियम या एक प्रतिबंध लागू करना जो धारा 230 के दायरे में आता है। इस स्थिति पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है, जो विनियमन 2 बी के प्रावधानों से स्वतंत्र है। विनियमन 2 बी के अभाव में भी, एक व्यक्ति अपात्र है

आई. बी. सी. के तहत परिसमापन से गुजर रही कंपनी के मामले में धारा 35 (1) (एफ) के साथ पठित धारा 29 ए के तहत धारा 230 के तहत पुनरुद्धार के लिए एक योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है। में

अध्याय 2 (धारा 29 ए के प्रावधानों के आधार पर) के तहत समाधान प्रक्रिया अध्याय 3 (धारा 35 (1) (एफ) के प्रावधानों के आधार पर) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में प्रवेश करती है। कि स्थिति होने के नाते, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विनियमन 2 बी का परंतुक स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। परंतुक के अनुपस्थित रहने पर भी, एक व्यक्ति जो धारा 29 ए के तहत अयोग्य है,

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, कोई योग्यता नहीं है विनियमन 2 बी की वैधता को चुनौती देना। [पैरा 84] [188-एफ-एच; 189-ए-डी] अरुण कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

मेघल होम्स प्रा. लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी के. के.

समिति (2007) 7 एससीसी 753: [2007] 9 एससीआर 330-संदर्भित

को।

अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत व्यवस्था, यहां तक कि परिसमापन से गुजर रही कंपनियों के लिए भी, ढांचे का हिस्सा नहीं था आईबीसी के तहत। समिति ने नोट किया कि इसके कारण एक

(एक पर्यवेक्षी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में) एन. सी. एल. टी. की भूमिका की द्वैतता सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, कई मुद्दे

आई. बी. सी. बनाम 2013 के अधिनियम के तहत ड्राइविंग ट्रिब्यूनल के तहत) और वास्तव में यह सवाल कि क्या आई. बी. सी. की धारा 29 ए और धारा 35 (1) (एफ) के प्रावधान के तहत अयोग्यता भी 2013 के अधिनियम की धारा 230 से जुड़ी है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप के साथ-साथ आई. बी. बी. आई. द्वारा नए नियमों की शुरुआत के कारण कुछ मामले सामने आए हैं।

दोनों संरचनाओं में संरेखण। [पैरा 86] [189-जी-एच; 190-ए-बी]

< HTTPS: //इबिबि। गव. इन/अपलोड/संसाधन

c6cb71c9f69f66858830630da08e45b4। पी. डी. एफ.> 10 मार्च 2021 को पहुँचा गया-संदर्भित।

12.2 इसके बाद समिति ने कहा कि आई. बी. सी. के ढांचे में ऐसी योजनाओं को शामिल करना चिंताजनक हो सकता है। क्योंकि यह सी. आई. आर. पी. के दौरान प्रोत्साहनों को बदल देगा और विनाशकारी देरी की ओर ले जाएगा, जो अक्सर बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हालाँकि, यह फिर भी उन लाभों को स्वीकार करता है जो ऐसी योजनाओं को प्रदान करने के लिए हो सकते हैं। फिर भी, समिति इस बात पर ध्यान देते हुए निष्कर्ष निकालती है कि ऐसी योजनाएं, यदि उन्हें लाया जाना है, तो 2013 के अधिनियम के तहत नहीं बल्कि आई. बी. सी. के तहत होनी चाहिए। [पैरा 87] [190-सी-डी]

उमाकांत वरोट्टिल, 'भारत में ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में व्यवस्था की योजना: समस्याएँ और संभावनाएँ (मार्च 2017) एन. यू. एस. कार्यपत्र 2017/005 पर उपलब्ध है। // कानून। नौस। एडयू। एस. जी./डब्ल्यू. पी.>-संदर्भित।

12.3 दोनों ढांचे के अनुप्रयोग में अस्पष्टता के कारण, यह अनिवार्य हो गया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाए। विनियमन 2 बी [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए परंतुक की शुरूआत।

यह इस दिशा में एक कदम था जिसने विधायी इरादे के साथ मिलकर 2013 के अधिनियम की धारा 230 के लिए आई. बी. सी. की धारा 29ए में निर्धारित अयोग्यताओं की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी। [पैरा 88] [191-ए-बी]

12.4 आई. बी. सी. के तहत परिसमापन प्रक्रिया में धारा 230 के तहत योजनाओं की स्पष्ट मान्यता के माध्यम से थी वाई शिवराम प्रसाद के मामले में एनसीएलएटी का न्यायिक हस्तक्षेप। चूँकि इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को इस मामले में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह न्यायालय अपने गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। हालांकि, आई. बी. सी. के तहत क्रमशः न्यायिक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में काम करने वाले एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित ढांचे में न्यायिक रूप से हस्तक्षेप करने के संबंध में आगाह किया जाता है। आई. बी. सी. की शुरुआत भारत में दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। इस प्रकार, यह एक सावधानीपूर्वक विचार किया गया और सुविचारित कानून है जो अतीत की प्रथाओं को दूर करने का प्रयास करता है। द.

विधायिका अपने अनुभव के आधार पर लगातार संशोधन करके यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि इस कानून की प्रभावशीलता मजबूत रहे। नतीजतन, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. से न्यायिक हस्तक्षेप या नवाचार की आवश्यकता को कम से कम रखा जाना चाहिए और आई. बी. सी. के मूलभूत सिद्धांतों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दिवालियापन कानून सुधार समिति (2015) की रिपोर्ट में उनकी भूमिका में इस सचेत बदलाव का उल्लेख किया गया है। [पैरा 89] [191-बी-ई]

वाई शिवराम प्रसाद बनाम। एस धनपाल 2019 एससीसी ऑनलाइन

एन. सी. एल. ए. टी 172-अनुमोदित।

जोगेंद्र लाल साहा बनाम। बिहार राज्य, 1991 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 654; जसबीर सिंह बनाम। विपिन कुमार जग्गी, (2001) 8 एस. सी. सी. 289 [2001] 1 पूरक। एससीआर 598; पी. वी. हेमलता बनाम कट्टम कंडी पुथिया मलियाकल सहीदा, (2002) 5 एस. सी. सी. 548 [2002] 3 एस. सी. आर. 1098; तालचर नगरपालिका बनाम। तालचेर विनियमित बाजार समिति, (2004) 6 एस. सी. सी. 178 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 167; इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। मोटोरोला इंक, (2005) 2 एससीसी 145: [2005] 1 एससीआर

73 - संदर्भित किया गया। -

सालोमोन वी। ए. सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 एसी 22 (एचएल) -

संदर्भित किया गया।

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

पै

रा 29 (xii)

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर 330

संदर्भित किया गया।

पै

रा 63,64

[2018] 12 एससीआर 1044

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

[2018] 12 एससीआर 362

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

[2021] 3 एससीसी 224

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

(2020) 8 एस. सी. सी. 401

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

[1996] 6 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 63

1991 पूरक (2) एस. सी. सी. 654

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[2001] 1 पूरक। एससीआर 598

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[2002] 3 एससीआर 1098

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[2004] 3 पूरक। एससीआर 167

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[2005] 1 एससीआर 73

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णय: सिविल

2019 की अपील संख्या 9664।

राष्ट्रीय संविधान के 24.10.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) संख्या 221 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ 2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 269 और सिविल अपील संख्या 2719

2020 .

तुषार मेहता, एस. जी., बलबीर सिंह, ए. एस. जी., गोपाल जैन, अमित सिब्बल, सीनियर.

अधिवक्ता। , संदीप बजाज, सोइब कुरैशी, निधि मोहन पाराशर, सुश्री अदिति पुंधीर, सुश्री संग्या गुप्ता, शिव शंकर बनर्जी, सुश्री ऋचा कपूर, कुणाल आनंद, अनुपा बनर्जी, सुश्री आयुषी राजपूत, चारू शांगरी, शल्य अग्रवाल, सुश्री सुरभी कत्याल, सुश्री शिवानी शर्मा, कानू अग्रवाल, सौरभ मिश्रा, अंकुर तलवार, चीनमी चंद्र, श्याम गोपाल, अरविंद कुमार शर्मा, आलोक धीर, करण बतुरा, सुश्री प्रियल चतुर्वेदी, निखार लूथरा, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, सुश्री गायत्री गुलाटी, सिद्धार्थ वासुदेव, सिद्धार्थ शर्मा, अर्जुन अस्थाना, सुमित [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिनानी, अरूप बनर्जी, सुश्री मीशा, अनूप रावत, सिद्धांत कांत, सागर धवन, निखिल माथुर, सुश्री प्रभसिम्रान कौर, एस. एस. श्रॉफ, विकास मेहता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है:

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

ए. 1 2019 की सिविल अपील 9664

ए. 2 2020 की सिविल अपील 2719

ए. 3 परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016

ए. 4 अनुच्छेद 32 याचिका

मुद्दे

बी.

सी.

प्रस्तुतियाँ

कानूनी ढांचे का विश्लेषण

डी.

डी. 1 समाधान प्रक्रिया के दौरान अयोग्यता और

परिसमापन

डी. 2 अंत:क्रिया: आई. बी. सी. परिसमापन और धारा 230

2013 का अधिनियम

डी. 3

'क्लीन स्लेट'

डी. 4 विनियम 2 बी की संवैधानिक वैधता-परिसमापन प्रक्रिया विनियम

ई.

उपसंहार

एफ निष्कर्ष एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

ए. 1 2019 की सिविल अपील 9664 1

1. 24 अक्टूबर 2019 के अपने फैसले द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 2 ने माना कि एक व्यक्ति जो धारा के तहत अयोग्य है

29 दिवाला दिवालियापन संहिता, 2016 3 के ए को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए, समझौते की योजना का प्रस्ताव करने से भी रोक दिया गया है और

1 " पहली अपील "

2 " NCLAT "

3 " आई. बी. सी. "अरुण कुमार जगरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कंपनी अधिनियम, 20134 की धारा 230 के तहत व्यवस्था। यह फैसला जिंदल स्टील एंड पावर द्वारा दायर एक अपील में दिया गया था।

2. श्री अरुण कुमार जगतरामका, अन्य बातों के साथ-साथ, एन. सी. एल. ए. टी. के 24 अक्टूबर 2019 के आदेश पर इस आधार पर आरोप लगाते हैं कि 2013 का अधिनियम किसी भी व्यक्ति पर योजना जमा करने के उद्देश्य से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। अपीलार्थी के अनुसार, अयोग्यता के अभाव में, एन. सी. एल. ए. टी. आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत अयोग्यता को 2013 के अधिनियम की धारा 230 में नहीं पढ़ सकता था। यह, प्रस्तुत करने में, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा कानून के न्यायिक पुनर्निर्धारण के बराबर होगा, जो अस्वीकार्य है।

विवाद की रूपरेखा को समझें। जी. एन. सी. एल., निगमित देनदार ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदन 7 अप्रैल 2017 को स्वीकार किया गया था। 4. श्री अरुण कुमार जगतरामका ने 1 नवंबर 2017 को जी. एन. सी. एल. के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसे समाधान पेशेवर द्वारा ऋणदाताओं की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। योजना ऐसी थी कि

7 " जीएनसीएल " 8 " एन. सी. एल. टी. "9 सी. ए. (सी. ए. ए.) संख्या 198/कि. बी./2018 10 "सी. आई. आर. पी". या "समाधान प्रक्रिया" 11 "आर. पी".

21] 3 एस सी आर।

5. आई. बी. सी. को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 29 ए जिसे इसके साथ जोड़ा गया था

23 नवंबर 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव व्यक्तियों की एक सूची प्रदान करता है।

जो समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य हैं। धारा 29 ए की उप-धारा (जी) किसी व्यक्ति को समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य घोषित करती है यदि वह एक प्रवर्तक या किसी कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक तरजीही लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में एनसीएलटी द्वारा आईबीसी के तहत एक आदेश दिया गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत धारा 29 ए सहित आईबीसी के विभिन्न प्रावधानों में दूसरा संशोधन किया गया था, जो 6 जून 2018 से प्रभावी था। धारा 29 ए की उप धारा (जी) में एक परंतुक जोड़ा गया था। आई. बी. सी. की धारा 29 ए अपने वर्तमान रूप में इस प्रकार है:

" 29 ए. समाधान आवेदक बनने के पात्र नहीं व्यक्ति:

एक व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहा है।

व्यक्ति

(क) एक अविमुक्त दिवालिया है;

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है,

1949 (10 1949 का);

(ग) समाधान योजना जमा करते समय प्रबंधन के तहत एक खाता, या एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या

ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है,

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत, और इस तरह के वर्गीकरण की तारीख से निगम के शुरू होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है।

निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया:

बशर्ते कि व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है; अरुण कुमार जगरामका v.

जिंदल स्टील एंड वेयर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय संस्था है और निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

स्पष्टीकरण I-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है, जो केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय साधनों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने या ऐसे लेनदेन को पूरा करने के कारण है, जो दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले निर्धारित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण II। - — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी समाधान आवेदक का खाता है, या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में किसी निगमित देनदार का खाता है, या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा खाता इस संहिता के तहत अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसार अर्जित किया गया था, तो इस खंड के प्रावधान इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऐसे समाधान आवेदक पर लागू नहीं होंगे।

(घ) कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

(i) बारहवें के तहत निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए

अनुसूची; या

((ii) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत सात साल या उससे अधिक के लिए: बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति पर उसकी रिहाई की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा।

कारावास:

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा; (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है;

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I; [2021] 3 एस. सी. आर. के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा।

(छ) एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसे इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया है;

बशर्ते कि यह खंड तब लागू नहीं होगा जब कोई अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्य वाला लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या

अधिग्रहण से पहले धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है

एक के अनुसार समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार इस संहिता के तहत या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित योजना या योजना के अनुसार अनुमोदित समाधान योजना, और इस तरह के समाधान आवेदक ने अन्यथा तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में योगदान नहीं दिया है;

भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी कानून के तहत; या (जे) एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड (ए) से (आई) के तहत पात्र नहीं है।

स्पष्टीकरण I-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है

((iii) खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष: बशर्ते कि स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं है:

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड वेयर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल है, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और संबंधित है

निगमित देनदार का पक्ष केवल रूपांतरण के कारण या

ऋण को इक्विटी शेयरों या परिवर्तनीय उपकरणों में प्रतिस्थापित करना

इक्विटी शेयरों में 9 [या ऐसे लेन-देन का पूरा होना जो हो सकता है

], दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले;

स्पष्टीकरण II। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय इकाई"

इसका अर्थ निम्नलिखित संस्थाएं होंगी जो ऐसे मानदंडों को पूरा करती हैं या केंद्र सरकार जिन शर्तों के साथ परामर्श करे

वित्तीय क्षेत्र का नियामक, इस संबंध में अधिसूचित करता है, अर्थात्: —

(क) एक अनुसूचित बैंक;

बाजार नियामक या किसी क्षेत्राधिकार के अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामक भारत के बाहर कौन सा क्षेत्राधिकार वित्तीय के अनुरूप है

एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है

प्रतिभूति आयोगों का संगठन बहुपक्षीय ज्ञापन समझने की;

(ग) कोई भी निवेश वाहन, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या विदेशी उद्यम पूंजी

निवेशक, जहाँ शर्तों का अर्थ उन्हें सौंपा जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (हस्तांतरण) के विनियमन 2 में

या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा जारी करना) विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत बनाए गए विनियम, 2017

अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(घ) रिजर्व में पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54);

(ई) प्रतिभूतियों के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष और भारतीय विनिमय बोर्ड;

(च) व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियां जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। सरकार "।

(जोर दिया गया)

धारा 29 ए को शामिल करने के कारण, श्री अरुण कुमार जगमतरामका

मैं समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हूँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. समय की कमी के कारण सी. ओ. सी. द्वारा आगे कोई समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई। समाधान योजना के अभाव में, एन. सी. एल. टी. ने 270 दिनों की समाप्ति के बाद 11 जनवरी 2018 को परिसमापन का आदेश पारित किया। परिसमापन के एन. सी. एल. टी. के आदेश को अपील 1 3 में चुनौती दी गई थी। श्री अरुण कुमार जगतरामका द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष। अपील को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 10 जुलाई 2018 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपील को खारिज करने पर इस अदालत के समक्ष आपत्ति जताई गई, जिसने 19 जुलाई 2019 को जी. एन. सी. एल. को नोटिस जारी किया।

7. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, जहां एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित परिसमापन के आदेश पर हमला किया गया था, श्री अरुण कुमार

एन. सी. एल. टी. के समक्ष तत्कालीन प्रवर्तकों और लेनदारों के बीच समझौता और व्यवस्था के लिए एक योजना का प्रस्ताव करते हुए जगतरामका ने 2013 के अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत एक आवेदन दायर किया। यह एन. सी. एल. टी. द्वारा 15 मई 2018 के अपने आदेश के माध्यम से आवेदन की अनुमति दी गई थी, और समझौते और व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के लिए शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों और एफ. सी. सी. बी. धारकों की एक बैठक बुलाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था।

8. जी. एन. सी. एल. के एक परिचालन लेनदार, जे. एस. पी. एल. ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 15 मई 2018 के एन. सी. एल. टी. के आदेश के खिलाफ अपील की। एन. सी. एल. ए. टी. ने 24 अक्टूबर 2019 के अपने फैसले के माध्यम से अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि जो प्रवर्तक आई. बी. सी. की धारा 29 ए के तहत समाधान योजना का प्रस्ताव करने के लिए अयोग्य हैं, वे अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत समझौते और व्यवस्था के लिए आवेदन दायर करने के हकदार नहीं हैं।

2013 से। इस निष्कर्ष का आधार विवादित निर्णय के पैराग्राफ 10 से 12 में निहित है जो नीचे निकाला गया है:

" 10. जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। - 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.99 में कहा गया है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है।

निगमित ऋणी को उससे बचाकर ऋणी

प्रबंधन और परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से '।

11. उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करता है कि परिसमापन की अवधि के दौरान भी, कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 के उद्देश्य के लिए, 'कॉर्पोरेट देनदार' को इससे बचाया जाना है।

स्वयं का प्रबंधन, जिसका अर्थ है प्रवर्तक, जो हैं धारा 29 ए के तहत अयोग्य, आवेदन दायर करने के हकदार नहीं हैं

13 2018 की कंपनी अपील (आईबी) संख्या 55-56।

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

WER LTD. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 230 के तहत उनके पक्ष में समझौता और व्यवस्था कंपनी अधिनियम की धारा 232। धारा 35 (च) का प्रावधान निषेध करता है।

परिसमापक अचल और चल संपत्ति को बेचने के लिए या

किसी को भी परिसमापन में 'निगमित देनदार' के कार्रवाई योग्य दावे

वह व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक होने के योग्य नहीं है, उद्धृत

नीचे:

" 35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य। - (1) विषय के अधीन

अर्थात्: XXX

XXX

XXX

(च) धारा 52 के अधीन रहते हुए, अचल और चल को बेचना।

निगमित देनदार की संपत्ति और कार्रवाई योग्य दावे

ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को हस्तांतरित करना, या उसे पार्सल में इस तरह से बेचना जो हो सके

निर्दिष्ट किया गया।

किसी भी व्यक्ति को परिसमापन में जो एक होने के योग्य नहीं है समाधान आवेदक।

12. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रवर्तक, यदि

धारा 29 ए के तहत अपात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है अचल संपत्ति को वापस लेने के लिए समझौता और व्यवस्था

'निगमित देनदार' की चल संपत्ति या कार्रवाई योग्य दावे।

(मूल में जोर)

9. एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय और आदेश का विषय है

अल।

ए. 2 2020 की सिविल अपील 2719 1 4

10. यह अपील 19 तारीख के आदेश को लागू करने के लिए दायर की गई है।

एन. सी. एल. ए. टी. का एम. बी. आर. 2019 जिसमें इसने दिनांकित निर्णय पर भरोसा कियाअक्टूबर 2019 में पहले की अपील में यह अभिनिर्धारित करने के लिए आक्षेप किया गया था कि आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने के लिए एक व्यक्ति,

ल "[2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता और व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव करने के लिए भी अयोग्य है।

11. अपीलार्थी-श्री कुंवर सचदेव-सु-काम पावर सिस्टम्स लिमिटेड के प्रवर्तक और निदेशक (निलंबित होने के बाद से) थे। अ.

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन 1 6 सु-काम के वित्तीय लेनदारों में से एक द्वारा दायर किया गया था, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा 5 अप्रैल 2018 के अपने आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया था। सी. आई. आर. पी. सु-काम के खिलाफ शुरू की गई थी।

12. जब आर. पी. ने सु काम के समाधान योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए, तो श्री कुंवर सचदेव ने फीनिक्स ए. आर. सी. के साथ एक योजना प्रस्तुत की।

15 नवंबर 2018 को प्राइवेट लिमिटेड। हालाँकि, श्री कुंवर सचदेव को आर. पी. द्वारा 27 दिसंबर 2018 को जारी एक ईमेल द्वारा सूचित किया गया था कि सी. ओ. सी. ने उन्हें आई. बी. सी. की धारा 29 ए (एच) के तहत अयोग्य पाया था और परिणामस्वरूप उनकी समाधान योजना को रद्द कर दिया था।

13. इस निर्णय को एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन 17 दाखिल करके चुनौती दी गई थी। हालांकि, इसे एन. सी. एल. टी. ने अपने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था

दिनांक 2 अप्रैल 2019। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी।

14. अंतरिम में, किसी अन्य समाधान योजना की अनुपस्थिति के कारण, एन. सी. एल. टी. ने 3 अप्रैल 2019 को धारा 34 (1) के तहत एक आदेश पारित किया। आई. बी. सी., सु-काम के परिसमापन का निर्देशन करता है और एक परिसमापक नियुक्त करता है। परिसमापक की नियुक्ति को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी

एक अपील में, जिसे 29 अप्रैल 2019 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसमें परिसमापक की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। परिसमापक को 2013 के अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत समझौता और व्यवस्था की योजनाओं के लिए आवेदन स्वीकार करने का भी निर्देश दिया गया था।

15. जब परिसमापक ने समझौता और व्यवस्था की योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित किया, तो श्री कुंवर

सचदेव ने फिर से अपनी रुचि व्यक्त की। परिसमापक और श्री कुंवर सचदेव के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हुआ, जिसके दौरान श्री कुंवर सचदेव को सू काम के ऋणदाताओं को अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालाँकि, इससे पहले कि यह अमल में आ सके, श्री कुंवर सचदेव को

परिसमापक द्वारा 19 सितंबर 2019 को एक ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि वह आईबीसी की धारा 29ए (एच) के तहत अपनी अयोग्यता को देखते हुए 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत एक योजना का प्रस्ताव करने के लिए अयोग्य थे।

" सु-काम "

16 सीपी (आईबी)/540 (पीबी)/2017) 17 सीए। 58 (पीबी)/2019

18 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.451 अरुण कुमार जगरामका बनाम.

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

16. श्री कुंवर सचदेव ने एक आवेदन में इस निर्णय को चुनौती दी।

एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया, जिसे 31 अक्टूबर 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो पहले की अपील में आक्षेपित 24 अक्टूबर 2019 के फैसले पर और आई. बी. सी. की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) के आधार पर था।

17. इसके बाद श्री कुंवर सचदेव ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 31 अक्टूबर 2019 के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने इसे खारिज कर दिया।

19 दिसंबर 2019 का आदेश। श्री कुंवर सचदेव अब अपील में इस न्यायालय के समक्ष आते हैं।

ए. 3 परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016

और भारतीय दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016। 19. परिसमापन प्रक्रिया विनियम भाग IV के तहत गठित भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड 22 द्वारा जारी किए गए हैं।

आई. बी. सी. की धारा 5,33,34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 , 49 , 50 , 51 , 52 , 54 , 196 और 208 के साथ पढ़ें

आईबीसी की धारा 240।

20. परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन किया गया था

आई. बी. बी. आई. ने 25 जुलाई 2019 की एक अधिसूचना 2,3 द्वारा विनियमन 2बी जोड़ा। विनियमन 2बी की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था आई. बी. सी. की धारा 33 की उप-धारा (1) और (4) के तहत जारी परिसमापन के आदेश के 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना। इसके अलावा, उप-धारा (2) में प्रावधान है कि किसी समझौते या व्यवस्था में लिया गया समय, नहीं

90 दिनों से अधिक, परिसमापन अवधि के भीतर शामिल नहीं किया जाएगा। अंत में, उप-धारा (3) में प्रावधान है कि समझौता या व्यवस्था के संबंध में परिसमापक द्वारा वहन की जाने वाली कोई भी लागत निगमित देनदार द्वारा वहन की जाएगी, यदि ऐसा समझौता या व्यवस्था एन. सी. एल. टी. द्वारा धारा 230 (6) के तहत स्वीकृत की जाती है। हालांकि, उप-धारा (3) के एक प्रावधान में कहा गया है कि यदि इस तरह के समझौते या व्यवस्था को एन. सी. एल. टी. द्वारा धारा 230 (6) के तहत मंजूरी नहीं दी जाती है, तो लागत उन पक्षों द्वारा वहन की जाएगी जिन्होंने समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था।

19 सीए-2335 (पीबी)/2019 20 कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) 2019 की संख्या 1498 21 "परिसमापन प्रक्रिया विनियम" 22 " आईबीबीआई "23 अधिसूचना। नहीं। आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी047 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20
21] 3 एस सी आर।

21. विनियमन 2 बी को 6 जनवरी की अधिसूचना 2,4 द्वारा संशोधित किया गया था।

2020 , जिसके द्वारा विनियमन 2 बी की उप-धारा (1) में एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना का प्रस्ताव करने के लिए अयोग्य पक्ष किसी समझौते या व्यवस्था का पक्ष नहीं हो सकता है। विनियमन 2 बी, अपने वर्तमान रूप में, इस प्रकार है:

" 2 - बी. समझौता या व्यवस्था। - (1) जहाँ समझौता हो। या व्यवस्था कंपनियों की धारा 230 के तहत प्रस्तावित है।

अधिनियम, 2013 (2013 का 18), इसे नब्बे दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। धारा की उप-धारा (1) और (4) के तहत परिसमापन का क्रम

33 :

बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो संहिता के तहत पात्र नहीं है

दिवाला समाधान के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत करना

(2) समझौता या व्यवस्था पर लिया गया समय, अधिक से अधिक नहीं नब्बे दिनों को परिसमापन अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) समझौते के संबंध में परिसमापक द्वारा की गई कोई भी लागत

या व्यवस्था निगमित देनदार द्वारा वहन की जाएगी, जहाँ ऐसा समझौता या व्यवस्था न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाती है।

धारा 230 की उप-धारा (6) के तहत: बशर्ते कि ऐसी लागत उन पक्षों द्वारा वहन की जाएगी जिन्होंने प्रस्ताव दिया था

समझौता या व्यवस्था, जहां ऐसा समझौता या उप-धारा के तहत न्यायाधिकरण द्वारा व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी गई है

(6) धारा 230 "।

(जोर दिया गया)

ए. 4 अनुच्छेद 32 याचिका

22. 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 269 श्री द्वारा दायर की गई है।

यह कि विनियमन 2 बी आई. बी. सी. और 2013 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का भी उल्लंघन करता है। रिट याचिका में प्रार्थना नीचे निकाली गई है: 24 नोटिस। नहीं। आई. बी. बी. आई./2019-20/जी. एन./आर. ई. जी. 053 अरुण कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" ऊपर दिए गए परिसर में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि

माननीय न्यायालय इस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है:

ए। लेखन, आदेश या निर्देश विशेष रूप से घोषणा के लेखन की प्रकृति में यह घोषणा करते हुए कि अधिसूचनाओं के प्रावधान

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा जारी दिनांकित 25.07.2019 और 06.01.2020 दिवाला के अधिकार से बाहर हैं और

दिवालियापन संहिता, 2016 के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19,21 का उल्लंघन है।

बी मुद्दे

23. इन याचिकाओं की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताने के बाद, अब हम इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों और इन याचिकाओं की प्रस्तुतियों की ओर रुख करेंगे। सलाहकार।

24. एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील में अपने पहले फैसले में दो प्रमुख मुद्दे तैयार किए:

" (i) क्या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद '1 और बी संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत परिसमापन कार्यवाही में समझौता और व्यवस्था की योजना कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 के संदर्भ में बनाई जा सकती है;

(ii) यदि अनुमति है, तो क्या प्रवर्तक समझौता और व्यवस्था के लिए आवेदन दायर करने के लिए पात्र है, जबकि वह सूचना और प्रसारण की धारा 29 ए के तहत 'समाधान योजना' प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य है।

25. उपरोक्त मुद्दों में से पहले का जवाब एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सकारात्मक रूप से दिया गया है, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री संदीप बजाज ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है। विवाद की असली जड़ दूसरे मुद्दे से संबंधित है। श्री संदीप बजाज के प्रस्तुतिकरण में, एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित मुद्दे पर खुद को संबोधित करते हुए जो निर्धारित किया वह यह है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 29 ए के तहत अयोग्यता को 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों में पढ़ा जा सकता है। संक्षेप में, इस मुद्दे पर श्री बजाज का दृष्टिकोण यह है कि एक अयोग्यता जो विधायिका द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, उसे न्यायिक आयोग द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प। वर्तमान मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया, धारा 29 ए स्पष्ट रूप से यह प्रदान नहीं करती है कि यह 2013 के अधिनियम की धारा 230 तक फैली हुई है। धारा 230, उनके प्रस्तुतिकरण में, 'विभिन्न अधिनियमों में एक अलग

धारा' है जिसके लिए आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत अयोग्यता को आकर्षित नहीं किया जा सकता है।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. श्री अमित सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील

दूसरी ओर, दूसरी अपील में प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि सही सवाल यह है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत अयोग्य व्यक्ति को परिसमापन के चरण में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत पुनरुद्धार के लिए एक योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति है।

स्वयं या दूसरों के साथ मेलजोल में।

27. मुकाबला करने वाले पक्षों का सूक्ष्म तरीका

उनकी प्रस्तुतियाँ प्रतियोगिता की व्यापक प्रकृति का संकेत देती हैं। एक ओर, श्री बजाज प्रस्तुत करते हैं कि आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत अयोग्यता केवल आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही से जुड़ी है, जिसमें एक समाधान योजना प्रस्तुत करना शामिल है। दूसरी ओर, श्री सिब्बल जो आग्रह करते हैं वह यह है कि जब आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई कार्यवाही के तहत और उसके अनुसरण में परिसमापन का आदेश पारित किया गया है, तो धारा

230 2013 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि परिसमापक आई. बी. सी. के तहत नियुक्त व्यक्ति एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर सकता है जहां एक समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है। अतः समझौता करने का प्रस्ताव या

धारा 230 के तहत व्यवस्था, जहां एक कंपनी आईबीसी के तहत परिसमापन में है, उस परिसमापन प्रक्रिया की निरंतरता में है। अतएव, श्री सिब्बल के लिए, एक व्यक्ति जो धारा 29ए के तहत अयोग्य है, वह धारा 230 के तहत पुनरुद्धार के लिए एक योजना का प्रस्ताव नहीं कर सकता है।

सी प्रस्तुतियाँ

28. इस प्रकार कानूनी संघर्ष की युद्ध रेखाओं को स्पष्ट करने के बाद, हम प्रस्तुतियों को गिनने के लिए आगे बढ़ते हैं।

29. श्री संदीप बजाज, प्रथम अपील और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया

कि -

आई. बी. सी. का अध्याय II इंगित करता है कि सी. आई. आर. पी. हो सकता है

((i)

तीन तरीकों से लागू किया गया:

(अ)

धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार द्वारा;

धारा 9 के तहत एक परिचालन लेनदार द्वारा; और

(ख)

(ग) धारा 10 के तहत एक निगमित देनदार द्वारा।

((ख)

आई. बी. सी. और इसके नियमों से संकेत मिलता है कि एक स्पष्ट

के बीच अंतर:

(क) निपटान तंत्र जो एक ऐसे निपटान की अनुमति देता है जिस पर निगमित

जिंदल स्टील औरवीईआर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रवर्तक को उसकी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ पुनर्स्थापित किया जाता है; और

समाधान तंत्र जिसके तहत,

(ख)

एक समाधान योजना की स्वीकृति, कंपनी प्रावधानों के परिणामस्वरूप एक निश्चित विचार के लिए एक क्लीन स्लेट पर अधिग्रहणकर्ता के नियंत्रण में चली जाती है।

धारा 31;

धारा 29 ए समाधान तंत्र का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है

iii)

और जिसका उद्देश्य प्रवर्तक को पिछले दरवाजे से प्रवेश करने से रोकना है, जिसे लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उनकी अपनी गलती;

iv) यद्यपि अपीलार्थी धारा 29 ए के तहत निषिद्ध श्रेणी में आता है, लेकिन निषेध का उद्देश्य प्रवर्तक को आईबीसी की धारा 30 और 31 के प्रावधानों के संदर्भ में समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोकना है। (v) आई. बी. सी. का अध्याय III, धारा 33 से शुरू होता है।

परिसमापन प्रक्रिया और विनियमन 32 के साथ

परिसमापन प्रक्रिया विनियम परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों आदि की बिक्री से संबंधित हैं। अध्याय III के तहत परिसमापन के दौरान परिसमापन संपदा का गठन किया जाना है।

धारा 36 और विनियमन 32 के तहत बिक्री एक आंतरिक बात है।

परिसमापन संपदा का हिस्सा। इसका परिणाम यह है कि

अधिग्रहणकर्ता एक साफ स्लेट पर शुरू होता है। धारा 29 ए के तहत अयोग्यता जो अध्याय II के उद्देश्य के लिए संलग्न है,

समाधान योजना के संदर्भ में, उपरोक्त तर्क के आधार पर धारा 35 (1) (च) के तहत अध्याय III तक बढ़ा दिया गया है, अर्थात परिसमापक निगमित देनदार या उसकी चल या अचल संपत्ति को नहीं बेचेगा।

किसी भी व्यक्ति के परिसमापन में कार्रवाई योग्य दावे जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं हैं;

(vi) दिवाला और दिवालियापन का नियम 8

वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन वापस लेना, उसके प्रवेश से पहले आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर परिचालन लेनदार या कॉर्पोरेट आवेदक। यह संकेत है कि

यह स्थिति कि एन. सी. एल. ए. टी. में अंतर्निहित [2021] 3 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने की शक्ति

प्रवेश;

(vii) धारा 12-ए को अधिनियम 26 में संशोधन करके आई. बी. सी. में जोड़ा गया था।

वर्ष 2018 का 6 जून 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ताकि एन. सी. एल. टी. को आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जा सके, जिसमें सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के नब्बे प्रतिशत की मंजूरी इस तरह से दी जाए कि

निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(viii) दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का विनियमन 30-ए

भारत सरकार (निगमों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

व्यक्ति) विनियम, 2016 (जिसे 3 जुलाई 2018 को जोड़ा गया था) ने विनियमन 36-ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी करने से पहले धारा 12-ए के तहत निकासी की अनुमति दी। स्विस में इस न्यायालय के फैसले में

सीओसी। हालांकि, जहां आवेदन के बाद किया जाता है सी. ओ. सी. का गठन (विनियमन 30-ए (1) (बी) के तहत) और रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद,

निकासी को उचित ठहराने के कारणों की आवश्यकता है

कहा गया;

(ix) ब्रिलियंट अलॉयज (पी) लिमिटेड में निर्णय v. एस.

राजगोपाल 26 इंगित करेगा कि एक निकासी हो सकती है

रुचि की अभिव्यक्ति के बाद भी अनुमति दी गई,

जिसके परिणामस्वरूप विनियमन 30-ए में निर्देशिका है

प्रकृति;

आवेदन वापस लेने का परिणाम

(x)

धारा 7,9 या 10 यह है कि निगमित देनदार खड़ा है।

प्रवर्तक को पुनर्स्थापित किया गया। इस प्रकार, धारा 29 ए निपटान तंत्र पर अयोग्यता के रूप में कार्य नहीं करती है। उस पर

9) 4 एस. सी. सी. 17; यहाँ, "स्विस रिबन" के रूप में संदर्भित 3 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3154; इसके बाद, "ब्रिलियंट अलॉयज" के रूप में संदर्भित यू. एन. कुमार जगतरामका बनाम।

जिंदल स्टील और

ई. आर. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निगमित देनदार के आवेदन को वापस लेना उसी प्रवर्तक को वापस, भले ही वे समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए धारा 29 ए के तहत अयोग्य हों;

i) धारा 29 ए के तहत अयोग्यता, जो आईबीसी के अध्याय II का एक हिस्सा है, केवल समाधान प्रक्रिया के दौरान है;

(ii) समाधान प्रक्रिया में धारा 29 ए के तहत अयोग्यता लागू करने का तर्क यह है कि आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत सफल समाधान आवेदक कंपनी को क्लीन स्लेट पर प्राप्त करता है, जैसा कि इस अदालत के फैसले में संकेत दिया गया है।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति

वी. सतीश कुमार गुप्ता "। यह लाभ वहां उपलब्ध नहीं है जहां धारा के तहत आवेदन सरलता से वापस लिया जाता है।

12 - ए;

iii) 2013 के अधिनियम की धारा 230 निपटान तंत्र का एक हिस्सा है और धारा 12 ए के प्रावधानों के बराबर है। एक समझौते या व्यवस्था का प्रभाव यह भी है कि कंपनी को उसकी सभी देनदारियों के साथ प्रवर्तकों को बहाल कर दिया जाता है।

जबकि आई. बी. सी. की धारा 12-ए एक आवेदन को वापस लेने की अनुमति देती है, 2013 के अधिनियम की धारा 230 और 230-ए में एक समझौते या व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, वे दोनों निपटान तंत्र का एक हिस्सा हैं और समाधान तंत्र का हिस्सा नहीं हैं, जिसके लिए धारा 29 ए के तहत अयोग्यता लागू होती है। अतः यह अयोग्यता नहीं हो सकती।

अब धारा 230 में संलग्न किया जाए;

iv) धारा 230 को 15 नवंबर 2016 को संशोधित किया गया था और उप-धारा (6) के तहत, समझौता या व्यवस्था बाध्यकारी हो जाती है यदि लेनदारों या लेनदारों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में 3/4th इसके लिए सहमत होते हैं, और यदि इसे NCLT द्वारा स्वीकृत किया जाता है। समझौता या व्यवस्था तब समग्र रूप से आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक पर बाध्यकारी हो जाती है। द.

हालाँकि, धारा 230 के प्रावधान परिसमापन तक ही सीमित नहीं हैं। वे आई. बी. सी. द्वारा विनियमित नहीं हैं। धारा 230 आई. बी. सी. से स्वतंत्र क्षेत्र में काम करती है। 15 नवंबर 2016 को धारा 230 (1) के संशोधन के बाद, आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा भी समझौते के लिए आवेदन प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन अधिकार

धारा 230 (1) के तहत आवेदन करने के लिए परिसमापक उसमें गिने गए अन्य लोगों के अलावा है और अनन्य नहीं है, उस सिद्धांत को देखते हुए जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जबकि इसके अनुरूप प्रावधानों का अर्थ लगाया गया था

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 2 8;

(xv) आई. बी. बी. आई. द्वारा अप्रैल और नवंबर 2019 में प्रसारित चर्चा पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि आई. बी. बी. आई. इस तथ्य से अवगत था कि धारा 29ए के तहत समाधान प्रक्रिया से जुड़ी अयोग्यता 2013 के अधिनियम की धारा 230 से जुड़ी नहीं होगी। विनियमन का प्रावधान

2बी को आई. बी. बी. आई. द्वारा 6 जनवरी 2020 को यह निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया गया था कि एक व्यक्ति जो आई. बी. सी. के तहत कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया समाधान के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं है, वह इस तरह के समझौते में पक्षकार नहीं होगा या

व्यवस्था करें। विनियमन 2बी 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों से परे है। आई. बी. बी. आई. के पास कोई वैधानिक नहीं था। विनियमन 2 बी बनाने का अधिकार, जिसके माध्यम से इसने 2013 के अधिनियम के तहत प्रभावी रूप से अयोग्यता प्रदान की है, भले ही आईबीबीआई का अधिदेश केवल

आई. बी. सी. और

(xvi) विनियम 2बी संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करता है।

संविधान के रूप में यह 2013 के अधिनियम में एक भिन्न प्रावधान के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत एक अयोग्यता को आयात करना चाहता है। इसके अलावा, जब आई. बी. सी. की धारा 12-ए के तहत अयोग्यता आकर्षित नहीं होती है, तो 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत इस अयोग्यता को लागू करना मनमाना है।

30. श्री संदीप द्वारा आग्रह की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए, श्री शिवशंकर बनर्जी, पक्ष में उपस्थित विद्वान वकील

दूसरी अपील में अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि:

इसके तहत एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है

((i)

परिसमापन के लिए आई. बी. सी. के प्रावधान;

जहाँ निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री या बिक्री

((ख)

निगमित देनदार के व्यवसाय का परिसमापन के दौरान होता है, आई. बी. सी. की धारा 35 (1) (एफ) में निर्धारित किया गया है कि परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है जो धारा 29 ए के तहत अपात्र। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

1956 का अधिनियम "कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परिसमापन का उपयोग प्रवर्तक को परिसंपत्तियों को बोझ से मुक्त करने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

एक सफल समाधान आवेदक के विपरीत

अध्याय 2 या वह व्यक्ति जो परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभान्वित होता है

धारा 230 के प्रावधान; धारा 230 (1) आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक का संदर्भ देती है क्योंकि जब धारा 7,9 या 10 का प्रावधान लागू किया गया है, और प्रवेश का आदेश पारित किया गया है, तो परिसमापन, यदि आवश्यक हो, आई. बी. सी. की धारा 35 के प्रावधानों के तहत होगा।

वह शरारत जिसे दूर करने की मांग की गई थी

धारा 29 ए को अपनाना संकल्प तक ही सीमित है।

प्रक्रिया, इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों को अपनी गलतियों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। यह उचित है यदि किसी चूककर्ता को समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेनदार अपने बकाया दावों के बाल काट सकते हैं। इसके अलावा, एक सफल समाधान आवेदक एक साफ स्लेट पर शुरू होता है। इसके विपरीत, धारा 230 के तहत, योजना को केवल एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकृत किया जाना है, जिस पर यह पारित होगी।

और

विनियमन 2 बी में परंतुक का सम्मिलन

परिसमापन प्रक्रिया विनियम इस तथ्य का एक स्पष्ट संकेतक है कि धारा 29 ए के तहत अयोग्यता या अयोग्यता

यह 2013 के अधिनियम की धारा 230 का हिस्सा नहीं है।

उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमित सिब्बल ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया है।

ईल। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया किः

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कंपनी के पुनरुद्धार की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव लागू हो सकता है।

केवल लेनदारों या शेयरधारकों के एक वर्ग के लिए। अपने संशोधन से पहले भी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा [2021] 3 एस. सी. आर. के पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत किसी योजना पर अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं।

391 1956 के अधिनियम का प्रस्ताव परिसमापन के समय किया गया है।

कंपनी का;

((ख)

धारा 29ए में उनके अलावा कई अयोग्यताएँ हैं जो प्रवर्तकों से जुड़ें। अयोग्य व्यक्ति को अनुमति देना

धारा 29ए के तहत समझौता प्रस्तुत करने से या

परिसमापन चरण में धारा 230 के तहत व्यवस्था आई. बी. सी. के अक्षर और भावना के विपरीत है; एन.
सी. एल. टी. एक आवेदन पर विचार करते हुए

(iii)

अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था

2013 की एक कंपनी के संबंध में, जिसे आई. बी. सी. के तहत समाप्त किया जा रहा है, दोहरी भूमिका निभाती है: सबसे पहले, आई. बी. सी. के तहत एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में और अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में

2013. इसलिए, यह अतिरिक्त शर्तों के पालन पर जोर दे सकता है अर्थात्:

(अ)

प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था का परिणाम होना चाहिए।

कंपनी के पुनरुद्धार में; और

(ख)

समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।

एक व्यक्ति द्वारा जो धारा 29ए के तहत वर्जित है;

(iv) जब आई. बी. सी. को मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, तो धारा 29ए में प्रकृति का कोई प्रतिबंध नहीं पाया गया था कि कौन प्रस्ताव कर सकता है

समाधान योजना या तो परिसमापन से पहले या बाद में;

धारा 29 ए और धारा 35 (1) (एफ) के तहत अयोग्यता थी

(v)

23 नवंबर को एक विधायी संशोधन द्वारा पेश किया गया

201729, परिसमापन से पहले और बाद के दोनों चरणों में;

(vi) अयोग्यता का उद्देश्य स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

पुनरुद्धार, जिसका अर्थ है कि किसी कंपनी के मामलों की स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों और विधायिका द्वारा अवांछनीय माने जाने वाले अन्य व्यक्तियों को कंपनी से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रक्रिया;

(vii) वे व्यक्ति जो धारा 29 ए या धारा के तहत अपात्र हैं।

35 (1) (च) प्रविष्टि नहीं ले सकते:

सी. आई. आर. पी. स्तर पर; या

(अ)

(ख)

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत; या

:

8 2018 का "कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ग) परिसमापन के दौरान परिसंपत्तियों को खरीदकर। धारा 29 ए केवल निगमित देनदार के संबंध में आचरण पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि अन्य कंपनियों के संबंध में भी लागू होती है।

धारा 29 ए में निहित अयोग्यता धारा 35 (1) (एफ) के प्रावधान के आधार पर अध्याय III तक फैली हुई है। इसे परिसमापन के विनियमन 32 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

प्रक्रिया विनियम। विनियम 32 परिसंपत्तियों की प्राप्ति के छह तरीके प्रदान करता है, जिनमें से चार में परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है और दो में कॉर्पोरेट देनदार या उसके व्यवसाय का हस्तांतरण शामिल है।

विनियमन 44 (1) अपने परंतुक के माध्यम से एक अतिरिक्त प्रावधान की अनुमति देता है।

परिसमापन प्रक्रिया के लिए नब्बे दिनों की अवधि जहां बिक्री विनियमन 32-ए (1) के माध्यम से होती है ताकि कंपनी के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित किया जा सके।

आई. बी. सी. के निकाय में धारा 230 के तहत समझौते की योजना का कोई संदर्भ नहीं है। धारा 230 (विशेष रूप से उप-धारा (1) और (6)) इंगित करती है कि:

(क) एक समझौता लेनदारों के एक उप-समूह के साथ हो सकता है;

(ख)

आह्वान किया जाए; और

केवल लेनदारों के एक वर्ग के साथ एक समझौता बाध्य करेगा

((ग)

धारा 230 (सी) के तहत केवल वह वर्ग;

1956 के अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 391 के संबंधित प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, इस न्यायालय ने मेघल होम्स प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय दिया। लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी के. के. समिति 3 0

परिसमापन में कंपनी के संबंध में प्रस्तावित, अतिरिक्त आवश्यकताओं को स्थापित करने की आवश्यकता है, अर्थात् यह योजना कंपनी के पुनरुद्धार के लिए होनी चाहिए। धारा 391 के तहत एक योजना का प्रभाव, जहां कंपनी परिसमापन में है, कि योजना के प्रस्तावक ऋण के निपटारे के साथ प्रबंधन में प्रवेश करें। यह धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना बनाता है।

सी 753; यहाँ, "मेघल होम्स" [2021] 3 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित है।

कंपनी; आई. बी. सी. पुनरुद्धार के तीन तरीके प्रदान करता है:

(क) अध्याय 2 के तहत सी. आई. आर. पी.;

परिसमापन में एक कंपनी की बिक्री एक चालू चिंता के रूप में

(ख)

(विनियमन 32 (ई) और (एफ) के साथ पढ़ें; और

((ग)

समझौता या व्यवस्था की एक योजना

2013 के अधिनियम की धारा 230,

परिसमापन के लिए आदेश अध्याय III के तहत पारित किया जा रहा है

आई. बी. सी.;

निषेध या अयोग्यता जो (क) और (ख) में लागू होती है, अनिवार्य रूप से (ग) के साथ भी संलग्न होनी चाहिए। जब 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत आई. बी. सी. के परिसमापन चरण में समझौता या व्यवस्था की योजना प्रस्तावित की जाती है, तो उसे आई. बी. सी. की कठोरताओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए, एक व्यक्ति जो धारा 29ए के तहत अयोग्य है, वह 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत योजना प्रस्तुत नहीं कर सकता है। आई. बी. सी. की धारा 29ए और 35 (1) (एफ) के प्रावधानों का अर्थ लगाने में इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि -

यह ध्यान में रखा जाए कि धारा 29ए के तहत अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति द्वारा पुनरुद्धार की योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहां कंपनी आई. बी. सी. के तहत परिसमापन में है, धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव आई. बी. सी. के तहत परिसमापन प्रक्रिया का एक पहलू है। धारा 230 को एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए संशोधित किया गया था।

आईबीसी के तहत। वैधानिक योजना इंगित करती है कि:

(अ)

आई. बी. सी. के तहत एक परिसमापन पूरे पर होता है

आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही का सरगम; 2013 के अधिनियम की धारा 230 में से एक का प्रावधान है -

(ख)

परिसमापन प्रक्रिया में पुनरुद्धार के तरीके; और कुमार जगतरामका V.

जिंदल स्टील एंड लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ग) धारा 230 के तहत योजनाओं को आमंत्रित करते समय परिसमापक की अन्य गतिविधियाँ बंद नहीं होती हैं। परिसमापन में परिसमापक द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों में धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था शामिल है। यह इस संदर्भ में है कि एन. सी. एल. टी. दोहरी भूमिका निभाता है- आई. बी. सी. के तहत परिसमापन के मामले में एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ एक

समझौते की योजना के लिए न्यायाधिकरण और 2013 के अधिनियम के तहत व्यवस्था;

आई. बी. सी. का मूल अभिधारणा यह है कि एक निगमित देनदार को उसके प्रबंधन और निगमित ऋण से बचाया जाना चाहिए। इसलिए, यह विसंगत होगा यदि किसी ऐसे व्यक्ति से समझौता या व्यवस्था की जा सकती है जो राज्य के मामलों की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

निगमित देनदार;

जहां कोई कंपनी आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत परिसमापन में है, धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था प्रस्तुत करने में समानता की विशिष्ट विशेषताएं हैं -

एक समाधान योजना अर्थात्:

इसका उद्देश्य कंपनी को पुनर्जीवित करना है; और

(अ)

(ख) एक बार आधिकारिक रूप से अनुमोदित होने के बाद, यह एक बाध्यकारी मानता है

चरित्र;

पुनरुत्थान और बाध्यकारी प्रकृति के ये आंतरिक तत्व एक ओर समाधान योजना और दूसरी ओर समझौता या व्यवस्था दोनों में व्याप्त हैं, जो परिसमापन के दौरान किया जाता है।

परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के विनियम 2 (बी) को 6 जनवरी 2020 से लागू करने का प्रावधान केवल स्पष्टीकरण के माध्यम से है।

आई. बी. सी. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, आई. बी. सी. की कठोरता अधिनियम की धारा 230 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

2013 से। दूसरे शब्दों में, धारा 29ए और 35 (1) (एफ) के तहत अयोग्यता केवल उस स्थिति पर लागू होती है जहां एक कॉर्पोरेट देनदार आईबीसी के दायरे में आया है और अध्याय III के तहत परिसमापन में लिया गया। यह केवल वहाँ है जहाँ [2021] 3 एस. सी. आर. की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की जाती है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

2013 का अधिनियम एक ऐसी कंपनी के संबंध में प्रस्तावित है जो

आई. बी. सी. के तहत परिसमापन से गुजर रहे हैं कि धारा 29ए और 35 (1) (एफ) की कठोरताएं आकर्षित होंगी;

एक बेतुकी बात का परिणाम तब होगा जब व्यक्ति अवहेलित या दुर्व्यवहार के दोषी पाए जाते हैं, जिन पर प्रतिबंध है:

(क) समाधान योजना प्रस्तुत करना;

(ख)

परिसमापन में परिसंपत्तियों की बिक्री प्राप्त करना; और

((ग)

चालू संस्था के रूप में कंपनी की बिक्री प्राप्त करना।

अभी भी धारा 230 के तहत एक समझौते का प्रस्ताव कर सकते हैं

2013 का अधिनियम। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो बेतुकी हो।

आई. बी. सी. की धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए आवेदन के साथ 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों की तुलना करने में एक भ्रांति है। धारा 12-ए का उद्देश्य समाधान प्रक्रिया की पराकाष्ठा नहीं है, बल्कि यह है -

शुरुआत। एक आवेदक द्वारा निकासी कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों के संबंध में पूर्व स्थिति की ओर ले जाती है और यह आवश्यक नहीं है कि सभी लेनदारों के संबंध में चूक को समाप्त कर दिया जाए। इसके विपरीत -

आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत एक समाधान योजना (के रूप में

(अ)

साथ ही अधिनियम की धारा 230 के तहत योजना

2013) सभी हितधारकों को बांधता है; धारा 12-ए के विपरीत एक साफ स्लेट में परिणाम; और

(ख)

((ग)

समाधान योजना की पराकाष्ठा का गठन करता है।

आई. बी. सी. की धारा 31 और 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों से अलग, धारा 12-ए के तहत वापसी पूर्व स्थिति को बहाल करती है और इसलिए धारा 29ए के तहत अयोग्यताओं से संबंधित नहीं है; और

आई. बी. सी. की धारा 240 बनाने की शक्ति का प्रतिपादन करती है

संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम। विनियम 2 (बी) में परंतुक का सम्मिलन वैध है क्योंकिः

(क) संशोधन आई. बी. सी. के अनुरूप है और लागू होता है।

इसके प्रावधानों को बाहर निकालना; और यह प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में भी,

(ख)

धारा 29ए के तहत अयोग्यता शासित होगी।

कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संक्षेप में, श्री सिब्बल ने आग्रह किया कि:

जहां एक कंपनी आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत परिसमापन में है, समझौता या व्यवस्था की एक प्रस्तावित योजना 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत आई. बी. सी. की आवश्यकताओं का पालन करना होगा;

विशिष्ट आवश्यकताएँ जिन्हें (i) के तहत पूरा किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए हैं:

योजना कंपनी के पुनरुद्धार के लिए होनी चाहिए;

(अ)

और

(ख)

यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए जो अयोग्य है।

आई. बी. सी. की धारा 29 ए के तहत;

उपरोक्त आवश्यकताएँ आई. बी. सी. विशिष्ट हैं और नहीं

अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों के साथ असंगत

2013 का; आई. बी. सी. की धारा 29 ए और 35 (1) (एफ) एक निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों को कंपनी के पुनरुद्धार का प्रस्ताव देने से रोकती है।

सी. आई. आर. पी. के दौरान, परिसमापन प्रक्रिया और

परिसमापन के दौरान परिसंपत्तियों की खरीद। समझौता या व्यवस्था की योजना के संदर्भ में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत पुनरुद्धार की योजना में अपवाद बनाने से समझौते के उद्देश्य और इरादे को विफल कर दिया जाएगा।

आई. बी. सी. में संशोधन और एक बेतुकेपन की ओर ले जाता है। यह उस शरारत को अंजाम देगा जिसे दूर करने की कोशिश की गई थी; जब कोई कंपनी आई. बी. सी. के तहत परिसमापन में होती है, तो एक योजना

धारा 230 के तहत प्रस्तावित परिसमापन का एक पहलू है। प्रक्रिया और वही तर्क जो व्याप्त है

परिसमापन प्रक्रिया को भी इसे नियंत्रित करना चाहिए; और धारा 12-ए पूरी तरह से अलग आधार पर है। यह सी. आई. आर. पी. की शुरुआत में निकासी का प्रावधान करता है और समाधान प्रक्रिया की पराकाष्ठा नहीं है। न ही धारा 12-ए निकासी सभी हितधारकों को बाध्य करती है।

श्री गोपाल जैन, विद्वान वरिष्ठ वकीलपहली अपील में एस ने उसी अमित सिब्बल के साथ प्रस्तुतियों का आग्रह किया है। उनकी प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभ या दीक्षा प्रक्रिया जो आकर्षित करती है

((i)

आई. बी. सी. धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन है।

वर्तमान मामले में, धारा के तहत एक आवेदन दायर किया गया था

((ख)

10 जिसके परिणामस्वरूप मामले का विश्लेषण किया जाना है

आई. बी. सी. के प्रिज्म के माध्यम से;

आई. बी. सी. एक आर्थिक कानून और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

(iii)

यह सुनिश्चित करने के लिए:

(अ)

अच्छा निगमित शासन; विचलित व्यवहार को नियंत्रित करें;

(ख)

समाधान प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करना;

((ग)

वाणिज्यिक नैतिकता को बढ़ाना; और

((घ)

(ङ) कानून के शासन के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

आई. बी. सी. इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक

आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक लेनदार केंद्रित व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने में सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण तत्व। यह सुनिश्चित करना कि समाधान योजनाएं विश्वसनीय व्यक्तियों

द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, आई. बी. सी. की योजना के लिए आंतरिक है। गति महत्वपूर्ण है। आई. बी. सी. ने एक कानूनी शासन को, जो एक ऋणी का स्वर्ग था, निगमित न्याय द्वारा शासित शासन में बदलने की मांग की है। आई. बी. सी. के तहत शासन गतिशील है, जो आठ संशोधनों से परिलक्षित होता है जो बीच में हुए थे।

नवंबर 2017 और सितंबर 2020;

(iv) मूल सिद्धांत यह है कि एक इकाई जो धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) के तहत वर्जित है, उसे निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि

चूक करने वाले प्रवर्तक:

चालक की सीट पर नहीं होना चाहिए; और

(अ)

(ख) हाथ की लंबाई पर रखा जाना चाहिए;

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संसद

(v)

दोनों धारा 29ए का एक साथ संशोधन अधिनियमित किया और धारा 35 (1) (च) द्वारा एक समान खेल का मैदान बनाए रखने के लिए

संबंधित सभी स्थितियों को व्यापक रूप से पूरा करना

चूक या वर्जित प्रवर्तक; कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील एंड लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आई. बी. सी. की व्याख्या करने में, कानूनी पवित्रता और स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन धारा 29 ए के लिए, समाधान योजनाओं के दौरान ऋणदाताओं के बाल कटवाने के बाद प्रवर्तक प्रबंधन में वापस आ गए होंगे। धारा 29 ए

जो समाधान प्रक्रिया और धारा 35 (1) (च) पर लागू होती है।

जो परिसमापन प्रक्रिया पर लागू होता है, उसका उद्देश्य था एक खामी भरें। अपीलार्थियों की दलीलें स्वीकार करना

एक नई खामी पैदा होगी। धारा 29 ए में है - प्रावधान के माध्यम से देखने की प्रकृति। की प्रस्तुतियाँ

अपीलकर्ता वास्तव में वास्तविक लेनदारों को डरा देंगे और प्रक्रिया को बाधित करना; और

आईबीसी की धारा 238 के अनुसार, किसी भी मामले में

आई. बी. सी. के प्रावधानों और किसी के बीच असंगति

लागू अन्य कानून, आई. बी. सी. के प्रावधानों का एक प्रबल प्रभाव होना है।

श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल,

विनियमन 2 बी की वैधता, विशेष रूप से परंतुक।

महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि:

ट्रिगर के संचालन के परिणामस्वरूप परिसमापन है

आई. बी. सी. की धारा 33 के प्रावधान;

विनियमन 2 बी नब्बे दिनों की अतिरिक्त अवधि की सुविधा प्रदान करता है।

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत एक समझौते के लिए

क्योंकि पूरी प्रक्रिया समय विशिष्ट है;

भले ही कानूनी स्थिति का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से किया जाता है

आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत; विनियमन 2 बी अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरणात्मक है।

विनियम 2 बी का आधार धारा 29 ए के समान है।

और 35 (1) (च), जो वह व्यक्ति है जो इसका कारण है

डिजाइन या डिफ़ॉल्ट रूप से समस्या का हिस्सा नहीं हो सकता है

प्रक्रिया समाधान;

आई. बी. सी. एक लाभकारी कानून है। अधिनियमन से पहले आई. बी. सी.:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत लेनदारों के पास व्यक्तिगत उपचार थे; और

(अ)

ऋणी कंपनी के कब्जे में रहेगा

(ख)

और उसकी संपत्ति।

आई. बी. सी. की शुरुआत के साथ, एक आदर्श बदलाव आया है

उस में -

(अ)

नई कानूनी व्यवस्था के तहत सामूहिक प्रयास किया जा रहा है

सभी लेनदारों के लिए, भले ही उनमें से किसी एक के कहने पर;

ऋणदाता के बजाय लेनदार नियंत्रण में है

(ख)

अधिकार; और

पुनरुत्थान आई. बी. सी. की आत्मा है;

((ग)

(vii) आई. बी. सी. की धारा 196 और 240 एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाती है।

आई. बी. बी. आई. को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना

इस शर्त के अधीन कि:

वे आईबीसी के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं;

((i)

और

वे आई. बी. सी. के उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

((ख)

इन दोनों शर्तों को विनियमन 2 (बी) द्वारा पूरा किया जाता है;

(viii) एक विनियमन जो एक क़ानून के तहत बनाया गया है

प्रतिनिधि को जो अधिकार प्रदान किया जाता है वह हो सकता है

होने के आधार पर चुनौती दी गई:

(क) मूल क़ानून के अधिकार से बाहर है; या

के भाग III के प्रावधानों के विपरीत होना

(ख)

संविधान;

अनुचितता से पीड़ित होने के लिए, एक विनियमन को स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाना चाहिए। विनियमन 2 (बी) आई. बी. सी. के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। स्पष्ट मनमानेपन से; और

(ix) धारा 29ए और 35 (1) (एफ) निम्नलिखित के अनुसार परिसमापन पर लागू होती हैं -

आई. बी. सी. धारा 29ए का सिद्धांत संदर्भ द्वारा निगमन के उपकरण के माध्यम से आईबीसी के तहत परिसमापन के दौरान समझौते की संकर प्रक्रिया में अवशोषित होता है।

35. श्री बलबीर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि

उपरोक्त पंक्तियों के साथ अनिवार्य प्रस्तुतियाँ भी।

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी कानूनी ढांचे का विश्लेषण

36. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुनाने के बाद, हम

अब 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते और व्यवस्था की योजना के प्रस्ताव और आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत शुरू की गई परिसमापन कार्यवाही के बीच कानूनी स्थिति और परस्पर क्रिया की ओर मुड़ें।

डी. 1 समाधान प्रक्रिया के दौरान अयोग्यता और

परिसमापन

37. आई. बी. सी. की धारा 29 ए को 23 से लागू किया गया था।

2018 के अधिनियम 8 द्वारा नवंबर 2017। इस प्रावधान का जन्म उस अनुभव के कारण हुआ है जो 28 मई 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से कानून के प्रावधानों के वास्तविक कार्य से प्राप्त हुआ था। इसके बाद आई. बी. सी. के प्रावधानों को उत्तरोत्तर लागू किया गया।

फाउंडेशन

38. आई. बी. सी. एक ऐसा कानून है जिसने मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित किया है।

निगमित व्यक्तियों, साझेदारी और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानून। विधान का लंबा शीर्षक विशिष्ट उद्देश्यों को इंगित करता है, जिन्हें सुगम बनाने का इसका उद्देश्य है। इन वस्तुओं में शामिल हैं:

(i) पुनर्गठन और दिवालिया होने की एक समयबद्ध प्रक्रिया।

समाधान;

((ii) परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण;

(€ iii) उद्यमिता को बढ़ावा देना; (£4) ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना; और

(v) सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना।

39. आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले कानूनी व्यवस्था की कुछ प्रमुख कमियां थीं:

दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले एकल कानून का अभाव

((i)

से निपटने के लिए स्थापित कई मंचों का अस्तित्व

(iii)

विविध विधायी प्रावधानों का प्रवर्तन; और

((iv) विधानों की भूलभुलैया के कारण होने वाली जटिलता जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त, अप्रभावी और विलंबित संकल्प होते हैं।

(तब) मौजूदा ढांचे द्वारा।

इन अपर्याप्तताओं को विधेयक को पेश करने के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में देखा गया था। आई. बी. सी. पूर्ववर्ती कानूनी व्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने, अर्थव्यवस्था को विकास और विकास के रास्ते पर स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में कॉर्पोरेट दिवालियापन के समय पर समाधान की कल्पना की गई थी। आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित नई कानूनी व्यवस्था के तहत उत्पन्न होने वाले कुछ जटिल मुद्दों को हल करने के लिए, अतीत के जाल को खाली करना आवश्यक हो जाता है। आई. बी. सी. की इस तरह से व्याख्या करना जो उन हितकारी उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाएगा जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को पहले की कानूनी व्यवस्था से जुड़ी अवधारणाओं और धारणाओं को छोड़ने की आवश्यकता होती है, जो काफी हद तक देनदार का स्वर्ग था। पहले की व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ऋणी काफी हद तक कंपनी के कब्जे में रहता था और इसकी परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत लेनदारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता था।

ऋण और चूक में उन लोगों द्वारा नियंत्रित हेडविंड में अपनी डोंगी।

40. आई. बी. सी. के अधिनियमन ने निगमित शासन और कानून के शासन में एक बड़े बदलाव को चिह्नित किया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आई. बी. सी. अच्छे निगमित शासन, सम्मान और अनुपालन को समझता है।

निगमित दिवालियापन के समाधान के लिए केंद्रीय रूप से कानून का शासन। दूसरा, आई. बी. सी. कॉर्पोरेट दिवालियापन को एक अलग समस्या के रूप में नहीं देखता है जिसका सामना करना पड़ता है।

एक व्यक्तिगत व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लेकिन इसे एक ढांचे के संदर्भ में रखता है जो आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में सार्वजनिक हित पर आधारित है

एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करने वाले लेनदारों द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णयों को प्राथमिकता, इस आधार पर कि ऋण बाजारों के विकास को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के

लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन का समय पर समाधान आवश्यक है। निवेश करें। चौथा, अपने विविध प्रावधानों में, आई. बी. सी. यह सुनिश्चित करता है कि निगमित उद्यमों के हित उनके हितों के साथ नहीं जुड़े हों।

उनके प्रवर्तक; निगमित संरचनाओं का आर्थिक मूल्य उनके प्रबंधन के पक्षपातपूर्ण हितों की तुलना में सामग्री में व्यापक है। आई. बी. सी. के इन हितकारी उद्देश्यों को तब प्राप्त किया जा सकता है जब समाधान प्रक्रिया की अखंडता को सबसे आगे रखा जाए। मुख्य रूप से, आई. बी. सी. एक कानून अरुण कुमार जगतरामका बनाम है।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसका उद्देश्य दिवालाओं का पुनर्गठन और समाधान करना है। परिसमापन अंतिम उपाय है। इन उद्देश्यों को केवल एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए अदालतों की आवश्यकता होती है, जबकि इसके प्रावधानों को अर्थ और सामग्री प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछली सरकार को घेरने वाली समस्याएं पिछले दरवाजे से कपटपूर्ण तरीके से प्रवेश न करें।

रणनीतियाँ।

संशोधनों

41. 23 नवंबर 2017 को संसद ने अध्याय के प्रावधानों में धारा 29ए को शामिल करने के लिए अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से हस्तक्षेप किया।

द्वितीय और धारा 35 (1) (च) अध्याय 3 के प्रावधानों में। आई. बी. सी. का दूसरा अध्याय, जो सी. आई. आर. पी. के लिए प्रावधानों का प्रतिपादन करता है, पिछले चार वर्षों में विकसित हुआ है। अध्याय III परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में प्रावधानों का वर्णन करता है। धारा 29ए उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को निर्धारित करती है जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के पात्र नहीं होंगे।

42. उसी संशोधन अधिनियम द्वारा जिसके माध्यम से धारा 29ए पेश की गई थी, धारा 35 (1) (एफ) को भी एक परंतुक पेश करने के साथ संशोधित किया गया था। धारा 35 परिसमापक की शक्तियों के साथ-साथ निर्दिष्ट करती है उनके कर्तव्य, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन हैं। धारा 35 (1) (च) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य। (1) विषय के अधीन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देश, परिसमापक के पास होगा

निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य, अर्थात्:

(च) धारा 52 के अधीन रहते हुए, परिसमापन में निगमित देनदार की अचल और चल संपत्ति और कार्रवाई योग्य दावों को बेचना

बशर्ते कि परिसमापक परिसमापन में अचल और चल संपत्ति या निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेगा जो समाधान आवेदक होने का पात्र नहीं है। 43. के साथ वस्तुओं और कारणों का विवरण

23 नवंबर 2017 को संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को पेश करने से नए प्रावधानों को पेश करने का उद्देश्य स्पष्ट होता है:

" 2. संहिता में दिवाला समाधान और किसी निगमित व्यक्ति के परिसमापन के प्रावधान किसी भी व्यक्ति की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं करते थे

21] 3 एस सी आर।

समाधान योजना प्रस्तुत करने या परिसमापन के समय किसी कंपनी की परिसंपत्तियों की अधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेने से। इस बात पर चिंता जताई गई है कि जिन व्यक्तियों ने अपने कदाचार से कंपनियों के चूक में योगदान दिया या अन्यथा अवांछनीय हैं, वे समाधान या परिसमापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निषेध या प्रतिबंधों की कमी के कारण इस स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट देनदार का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं या फिर से हासिल कर सकते हैं। यह संहिता में निर्धारित प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है क्योंकि बेईमान व्यक्ति को लेनदारों के खर्च पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा,

यह जाँचने के लिए कि अवांछनीय व्यक्ति जिनके पास हो सकता है

इस तरह के प्रावधान के अभाव में अपनी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करते हुए, ऋणदाताओं की समिति को बकाया राशि का भुगतान करने और पात्र बनने के लिए एक उचित अवधि देने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है।

44. 29 दिसंबर 2017 को लोकसभा में बहस के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि आई. बी. सी. लगभग एक साल से चल रहा था। नया कानून एक "सीखने का अनुभव" था। यह अध्यादेश इसलिए जारी किया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में मामले "पहले से ही समाधान तंत्र के लिए लंबित थे" और वहाँ

यह एक खतरा था कि यदि संशोधन तुरंत नहीं लाया गया होता, तो जो व्यक्ति "अयोग्य" होते, वे प्रस्ताव के रूप में आवेदन करना शुरू कर देते।

आवेदक। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान संशोधनों के कारणों पर प्रकाश डाला जब उन्होंने कहा कि:

" ..... आप उन प्रवर्तकों के साथ क्या करते हैं जो स्वयं जिम्मेदार हैं

इन एन. पी. ए. के लिए खंड सी. प्रत्येक लेनदार अपना ऋण लेता है।

बाल कटवाने और मामले में एक न्यायसंगत वितरण है

विघटन। समाधान के मामले में भी, सभी प्रकार के

लेनदार कुछ बाल काट सकते हैं और वह आदमी जिसने बाल बनाए हैं

दिवाला राशि का एक अंश का भुगतान करता है और वापस आ जाता है

प्रबंधन में। क्या हमें इसे जारी रखने देना चाहिए? द.

सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए भारी विचार यह है कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक अंतर था जो मूल विधेयक में था और 29 (ए) लाकर हमने उस अंतर को भरने का प्रयास किया है। यही उद्देश्य है। ताकि यह प्रावधान समाधान के मौजूदा लंबित मामलों पर लागू हो, यह तात्कालिकता का मामला है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसे सभी चूककर्ता

वे खुश होंगे क्योंकि वे इन अरुण कुमार जगतरामका बनाम के केवल एक अंश का भुगतान करके इन कंपनियों में वापस चले गए होंगे।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

राशि। यह कुछ ऐसा है जो व्यावसायिक होने के अलावा भी है।

अविवेकी भी नैतिक रूप से अस्वीकार्य होगा। यही असली बात है। इस विशेष विधेयक के पीछे तर्कः . "

(जोर दिया गया)

45. दिवाला विधि समिति की 3 मार्च की रिपोर्ट

2018 यह बताता है कि धारा 29ए को लागू करने के पीछे का इरादा इसे रोकने के लिए था कंपनी के मामलों पर नियंत्रण प्राप्त करने से बेईमान व्यक्ति। इन व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने कदाचार से कंपनी के चूक में योगदान दिया है या अन्यथा अवांछनीय हैं। समिति ने कहाः

" 14.1 . संशोधन द्वारा संहिता में धारा 29ए जोड़ी गई थी। एक्ट करें। इस प्रावधान के कारण, ऐसे व्यक्ति, जो अपने कदाचार से

निगमित देनदार के चूक में योगदान दिया या अन्यथा हैं अवांछनीय, नियंत्रण प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने से रोके जाते हैं

निगमित ऋणी। यह प्रावधान ऋणदाताओं की रक्षा करता है बेईमान व्यक्तियों को पुरस्कृत करने से रोककर कंपनी

लेनदारों की कीमत पर और खुद को कम करने के लिए संहिता में निर्धारित प्रक्रियाएँ "।

46. महत्वपूर्ण रूप से, अयोग्यता जो द्वारा उत्कीर्ण की गई थी

सी. आई. आर. पी. से संबंधित अध्याय II के साथ-साथ परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित अध्याय III के दोनों प्रावधानों में संशोधनकारी विधान को शामिल किया गया था। धारा 29ए उन व्यक्तियों की श्रेणी को निर्धारित करती है जो "समाधान योजना प्रस्तुत करने के पात्र नहीं होंगे"। धारा 35 (1) (च) का परंतुक परिसमापन प्रक्रिया में एक ही मानदंड को शामिल करता है, जब यह निर्धारित करता है कि परिसमापक परिसमापन में निगमित देनदार के अचल और चल या कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचेगा।

जो समाधान आवेदक बनने के योग्य नहीं है "। धारा 35 (1) (च) में ये शब्द स्पष्ट रूप से अयोग्यता के लिए संदर्भित हैं जो धारा 29ए में स्थापित की गई है।

न्यायिक समझ

चित्रा शर्मा

47. धारा 29 ए को लागू करने का अंतर्निहित उद्देश्य था

चित्रा शर्मा बनाम में इस अदालत के एक फैसले में कहा गया है। भारत संघ 3 1 31. हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक पीठ की ओर से बोल रहे हैं।

31 (2018) 18 एस. सी. सी. 575; इसके बाद, "चित्रा शर्मा" [2021] 3 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान न्यायाधीशों ने उद्देश्यों और कारणों के कथन पर ध्यान दिया

विधेयक का समर्थन करते हुए और धारा 29 ए के उद्देश्य पर इस प्रकार जोर दिया:

" [.....]

38. संसद ने आई. बी. सी. में धारा 29 ए को एक विशिष्ट प्रावधान के साथ पेश किया है।

उद्देश्य। धारा 29 ए के प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कि अन्य लोगों के बीच, दिवाला के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

दिवाला से जुड़े उद्देश्यों और कारणों का विवरण और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017

अंतत: 2018 के अधिनियम 8 के रूप में अधिनियमित, इस प्रकार कहता है:

" 2. दिवाला समाधान और परिसमापन के प्रावधान

संहिता में किसी निगमित व्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया गया है

समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति या

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में भाग लेना

परिसमापन के समय कंपनी। चिंता हो रही है

उन व्यक्तियों को उठाया जिन्होंने अपने दुराचार के साथ योगदान दिया

निगमित देनदार का नियंत्रण प्राप्त करें या फिर से प्राप्त करें। यह हो सकता है संहिता में निर्धारित प्रक्रियाओं को कमजोर करता है क्योंकि

समिति को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ऋणदाता बकाया चुकाने के लिए उचित अवधि देंगे

राशि और पात्र बनें।

(जोर दिया गया)

संसद स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर चिंतित थी कि

जिन व्यक्तियों के दुराचार ने चूक में योगदान दिया है देनदार कंपनियों का हिस्सा बार की अनुपस्थिति का दुरुपयोग करता है

समाधान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अनुमति दी जाए प्रवेश। संसद का विचार था कि

समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से नुकसान होगा

अधिनियम का हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य। इसमें यह

पृष्ठभूमि कि धारा 29ए ने अब एक सूची निर्दिष्ट की है

ऐसे व्यक्ति जो समाधान आवेदक बनने के पात्र नहीं हैं।

(जोर दिया गया)

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

48. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "धारा 29 ए व्यापक लोक हित में और प्रभावी निगमित शासन की सुविधा के लिए अधिनियमित की गई है।" अदालत ने आगे कहा कि "संसद ने अधिनियम में एक खामी को सुधार दिया जिसने पूर्ववर्ती प्रबंधनों को पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति दी। सी. आई. आर. पी "।

आर्सेलरमिटल

49. आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार

गुप्ता और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने अपने और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के लिए बोलते हुए इसी सिद्धांत को दोहराया जब उन्होंने

अनुभाग को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया 29 ए "पाठ और संदर्भ दोनों पर निर्भर करता है जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था":

" 30. धारा 29 ए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, पाठ और उस संदर्भ दोनों के आधार पर जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था, इसलिए, उसी की हमारी व्याख्या को सूचित करना चाहिए। हम वर्तमान मामले में खंड (सी), (एफ), (आई) और (जे) से संबंधित हैं। वहाँ से "।

निर्णय धारा 29 ए को 'प्रावधान के माध्यम से देखें' के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में विज्ञापित करता है ताकि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों तक पहुँच सके जो वास्तव में 'नियंत्रण' में हैं, चाहे संयुक्त रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर।

3 " 32. संशोधन अधिनियम की धारा 29 ए की प्रारंभिक पंक्तियाँ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की न्यायिक स्थिति के विपरीत एक वास्तविक स्थिति का उल्लेख करती हैं। यह एक विशिष्टता है "प्रावधान के माध्यम से देखें" का उदाहरण, ताकि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों तक पहुँच सके जो वास्तव में "नियंत्रण" में हैं, चाहे संयुक्त रूप से, या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। एक लकड़ी की, शाब्दिक, व्याख्या स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट घूंघट को फाड़ने की अनुमति नहीं देगी जब यह उस "व्यक्ति" की बात आती है जिसकी पात्रता में जाना है। हालांकि, एक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक व्याख्या, जैसे कि धारा 29 ए के रूप में ऐसे प्रावधान की व्याख्या की महसूस की गई आवश्यकता, अकेले ही नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक शेयरधारक उस कंपनी से एक अलग कानूनी इकाई है जिसमें वह शेयर रखता है। यह आम तौर पर सच हो सकता है, लेकिन जब एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्थापित एक कॉर्पोरेट वाहन की बात आती है, तो यह न केवल अनुमेय है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि ऐसी कंपनी बनाने वाले घटक कौन हैं। ऐसे मामलों में, सालोमोन v में निर्धारित सिद्धांत। ए. सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड [सालोमोन बनाम। ए. सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, 1897 एसी 22 (एचएल)] लागू नहीं होगा। क्योंकि ऐसे

मामलों में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक व्यक्ति या संस्थाएं कौन हैं जो संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस तरह के कॉर्पोरेट वाहन की स्थापना की है। "[2021] 3 एस. सी. आर.

स्विस रिबन

50. स्विस रिबन (ऊपर) में, आई. बी. सी. के कुछ संघों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन

निम्नलिखित टिप्पणियों में आई. बी. सी. के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है:

कर्जदार। जब तक ऐसा पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण यह कि वे कुशलता से चल रही चिंताओं के रूप में संचालित होते हैं, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंत में,

सभी हितधारकों के हितों की देखभाल कॉर्पोरेट देनदार के रूप में की जाती है।

स्वयं समाधान योजना के लाभार्थी बन जाते हैं श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है। (आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. देखें। सतीश

कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83, एफ. एन. 3 पर।

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। निगमित देनदार को उसके स्वयं के प्रबंधन से बचाना और अरुण कुमार जगतरामका v.

जिंदल स्टील एंड वेयर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से। इस प्रकार यह संहिता फायदेमंद है।

कानून जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं है। के हितों इसलिए निगमित देनदार को विभाजित कर दिया गया है और

इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनसे अलग। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है।

ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है। समय सीमा जिसके भीतर समाधान किया जाता है

प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की सुरक्षा करती है परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाएँ और यह देखते हुए अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करें कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके हो ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से इन सभी लक्षयों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित कर सके।

51. चित्रा शर्मा और लोरमिट्टल (ऊपर) में पहले के फैसले की ओर इशारा करते हुए, जिसने स्विस रिबन (ऊपर) में इस अदालत की धारा के अंतर्निहित उद्देश्य को स्पष्ट किया था, ने कहा कि अंतर्निहित मानदंड 29ए पर "धारा 35 (1) (एफ) में व्याप्त रहना जारी है" जब यह समाधान आवेदकों पर गलत तरीके से लागू होता है, लेकिन परिसमापन पर भी लागू होता है। इस धारा 35 (1) (च) को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

" 102. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, जब अचल और चल संपत्ति को परिसमापन में बेचा जाता है, तो उसे किसी भी व्यक्ति को बेचा जाएगा, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि अक्सर, यह पूर्व प्रवर्तक ही होता है जो ऐसी संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा खरीद सकता है। इस फैसले में पहले जो तर्क दिया गया है, वही इस परंतुक पर भी लागू होगा-कॉर्पोरेट देनदार के अचल और चल संपत्ति के लिए बोली लगाने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व प्रवर्तक में कोई निहित अधिकार नहीं है।

परिसमापन में। इसके अलावा, व्यक्तियों की श्रेणियों को देखते हुए जो हैं

धारा 29ए के तहत अपात्र, जिसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो

इसके अलावा, इस परंतुक द्वारा, गैर-कर्जदार, या ऐसे व्यक्ति जो किसी तरह से कानून की अवहेलना करते हैं, और जो स्वीकृत अनुग्रह अवधि में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें उस निगमित देनदार की संपत्ति खरीदने से रोक दिया जाता है, जिसके ऋण उनके पास हैं।

या तो जानबूझकर भुगतान नहीं किया गया है या भुगतान करने में असमर्थ हैं।

उद्देश्य जो धारा 29ए में व्याप्त है, धारा में तब भी व्याप्त रहता है जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होता है, बल्कि परिसमापन पर भी लागू होता है। नतीजतन, यह याचिका भी खारिज कर दी जाती है। एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

52. निर्णयों की यह पंक्ति, चित्रा शर्मा से शुरू होती है

(धारा 29ए की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाने में) और आर्सेलरमित्तल (उपरोक्त) और स्विस रिबन (उपर्युक्त) को जारी रखना महत्वपूर्ण है। धारा 29ए को यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है कि आई. बी. सी. के उद्देश्यों को "अयोग्य व्यक्तियों" को अनुमति देकर पराजित नहीं किया जाता है, जिसमें प्रबंधन में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने कंपनी को चलाया है, समाधान आवेदकों के नए अवतार में लौटने के लिए। धारा 35 (1) (च) को उसी निरंतरता में रखा गया है जब न्यायालय यह देखता है कि किसी निगमित देनदार के पूर्व प्रवर्तकों को कोई निहित अधिकार नहीं है। परिसमापन में निगमित देनदार की संपत्ति के लिए बोली लगाना। धारा 29ए को सक्रिय करने वाले मूल्य धारा 35 (1) (च) के प्रावधानों के आधार पर परिसंपत्तियों की बिक्री से जुड़ी परिसमापन की प्रक्रिया से समान श्रेणी के व्यक्तियों के बहिष्कार के अंतर्निहित तर्क को पोषण प्रदान करना जारी रखते हैं। इस न्यायालय के हाल के उदाहरण आई. बी. सी. के प्रावधानों की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाना जारी रखते हैं। (इस संदर्भ में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम के निर्णयों को देखें। स्पेड फाइनेंशियल

सर्विस 3 4, रमेश कैमल बनाम। मेसर्स सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट Ltd.[3]5 और अनुज जैन, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम. एक्सिस बैंक लिमिटेड 3.)

सतत पुनरुत्थान 53. धारा 29ए के तहत अयोग्यता का उद्देश्य प्राप्त करना है।

एक स्थायी पुनरुद्धार और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक व्यक्ति जो एक योजना या डिफ़ॉल्ट रूप से समस्या का कारण है, समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 29ए में न केवल निगमित देनदार के संबंध में बल्कि अन्य कंपनियों के संबंध में आचरण शामिल है -

एक प्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है), और खंड (ई), (च), (छ), (छ) और (छ) जिन्होंने निगमित देनदार के संबंध में आचरण से परे शुद्ध का विस्तार किया है।

34 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 51 ने 2020 के अनुच्छेद 103-104 35 सी. ए. संख्या 4050 पर 9 फरवरी 2021 को अनुच्छेद 23 और 25 36 (2020) 8 एस. सी. सी. 401 पर निर्णय लिया।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

54. धारा 29 ए के तहत अधिनियमित निषेध को धारा 35 (1) (एफ) के परंतुक में शामिल करते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अध्याय III तक बढ़ा दिया गया है। परिसमापन प्रक्रिया के तहत

विनियम, अध्याय VI परिसंपत्तियों की प्राप्ति से संबंधित है। विनियम 32 निम्नलिखित शब्दों में है:

" 32. परिसंपत्तियों की बिक्री आदि।

परिसमापक बेच सकता है

(क) एकल आधार पर एक परिसंपत्ति;

((ख) मन्द बिक्री में परिसंपत्तियाँ;
((ग) सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का एक समूह;

((घ) परिसंपत्तियाँ,
(ई) एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार; या

(च) एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार का व्यवसाय: बशर्ते कि जहां कोई संपत्ति प्रतिभूति ब्याज के अधीन है, उसे किसी भी खंड (ए) से (एफ) के तहत तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि उसमें प्रतिभूति ब्याज परिसमापन संपत्ति को नहीं दिया गया हो।

विनियमन 32 के खंड (ए) से (डी) सामूहिक रूप से या पार्सल में मंदी की बिक्री में अकेले आधार पर परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित हैं। खंड (ई) और (च) निगमित ऋणी या उसके व्यवसाय की बिक्री को एक चालू संस्था के रूप में निपटाना।

55. विनियमन 32-ए (1) तब निर्धारित करता है:

" 32 ए. बिक्री एक चालू चिंता के रूप में।

(1) जहां लेनदारों की समिति ने विनियमन 32 के खंड (ई) या (एफ) के तहत बिक्री की सिफारिश की है या जहां परिसमापक की राय है कि विनियमन 32 के खंड (ई) या (एफ) के तहत बिक्री से निगमित देनदार का मूल्य अधिकतम होगा, तो वह पहले उक्त खंडों के तहत बिक्री करने का प्रयास करेगा।

56. विनियम 44 परिसमापन शुरू होने की तारीख से निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक वर्ष की अवधि की अनुमति देता है। इसका हालांकि, परंतुक नब्बे दिनों तक की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देता है जहां विनियमन 32 ए के उप-विनियमन (1) के तहत बिक्री का प्रयास किया जाता है। विनियम 44 इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 44. परिसमापन की समाप्ति।

(1) परिसमापक परिसमापन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निगमित देनदार का परिसमापन करेगा। बचने के लिए किसी भी आवेदन के लंबित होने के बावजूद

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष संहिता के भाग II के अध्याय III के तहत लेन-देन या उसकी कोई कार्रवाईः बशर्ते कि जहां बिक्री का प्रयास उप-विनियमन के तहत किया जाता है

(1) विनियमन 32 ए के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है।

नब्बे दिनों तक की अवधि।] (2) यदि परिसमापक 29 [एक वर्ष] के भीतर निगमित देनदार को परिसमापन करने में विफल रहता है, तो वह इस तरह के परिसमापन को जारी रखने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन देगा, जिसमें एक रिपोर्ट के साथ बताया जाएगा कि परिसमापन क्यों पूरा नहीं किया गया है और निर्दिष्ट करेगा कि

परिसमापन के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय "।

डी. 2 अंतःक्रियाः आई. बी. सी. परिसमापन और अधिनियम की धारा 230

13

57. 2013 के अधिनियम की धारा 230 को अध्याय XV 'n में शामिल किया गया है जिसका शीर्षक "समझौता, व्यवस्था और समामेलन" है। धारा 230 के (1) पर उप निम्नानुसार प्रावधान करता हैः

" 230. लेनदारों और सदस्यों के साथ समझौता करने या व्यवस्था करने की शक्ति। (1) जहाँ कोई समझौता या व्यवस्था है प्रस्तावित

(क) किसी कंपनी और उसके लेनदारों या उनमें से किसी वर्ग के बीच; या

(ख) किसी कंपनी और उसके सदस्यों या उनमें से किसी वर्ग के बीच, न्यायाधिकरण, कंपनी या कंपनी के किसी लेनदार या सदस्य के आवेदन पर, या किसी कंपनी के मामले में

सदस्यों को, जैसा भी मामला हो, बुलाया जाना चाहिए, आयोजित किया जाना चाहिए और इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए जैसा कि न्यायाधिकरण निर्देश देता है। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन या शेयरों के विभाजन द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी का पुनर्गठन शामिल है।

विभिन्न वर्गों के शेयरों में, या उन दोनों में से

तरीके "। अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

58. धारा 230 की उप-धारा (1) के तहत समझौता या व्यवस्था हो सकती है:

((i)

एक कंपनी और उसके लेनदारों या के किसी भी उपसमूह के बीच ऋणदाता; या

एक कंपनी और उसके सदस्यों या सदस्यों के उपसमूह के बीच।

((ख)

59. परिसमापन उन तथ्यात्मक स्थितियों में से एक है जिसमें धारा 230 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। धारा 230 (1) को उस कंपनी के मामले में भी लागू किया जा सकता है जो बंद हो गई है, जैसा कि वैधानिक से स्पष्ट है।

60. धारा 230 की उप-धारा (1) को 15 नवंबर 2016 से 2016 के अधिनियम 31 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले, एक समझौता या व्यवस्था के लिए आवेदन इससे पहले भेजा जा सकता है

न्यायाधिकरण द्वारा:

(1)

कंपनी;

((ख)

एक लेनदार;

कंपनी का एक सदस्य; तथा

(iii)

( ) 0 ((iv) ऐसी कंपनी के मामले में जिसे बंद किया जा रहा है,

परिसमापक।

संशोधन के बाद, धारा 230 (1) में परिकल्पना की गई है कि

बंद की जा रही कंपनी के मामले में एक आवेदन एक परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे 2013 के अधिनियम के तहत या आई. बी. सी. के तहत नियुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 230 (उप-धारा (11) और (12) को छोड़कर) 7 दिसंबर 2016 को लागू हुई। जहां केवल

लेनदारों के एक वर्ग के साथ समझौता किया गया है, वह उस वर्ग को धारा 230 (6) के प्रावधानों के तहत बाध्य करेगा, जो इस प्रकार है:

" (6) जहाँ, उप-धारा (1) के अनुसरण में आयोजित किसी बैठक में,

लेनदार, या लेनदारों का वर्ग या सदस्य या सदस्यों का वर्ग, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से या छद्म या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करते हुए, किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं और यदि ऐसा समझौता या व्यवस्था न्यायाधिकरण द्वारा एक आदेश, वही कंपनी, सभी लेनदारों, या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग पर बाध्यकारी होगा, जैसा कि मामला [2021] 3 एस. सी. आर.

परिसमापक पर हो सकता है, या, किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में हो सकता है

और कंपनी के अंश "।

61. धारा 230 की उप-धारा (6) के तहत, शामिल या

लेनदारों, सदस्यों या उनमें से एक वर्ग के "मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बहुमत" द्वारा व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की जानी चाहिए। एन. सी. एल. टी. द्वारा समझौता या व्यवस्था को मंजूरी देने पर, यह कंपनी, सभी लेनदारों या सदस्यों या उनमें से एक वर्ग, जैसा भी हो, या किसी कंपनी के समाप्त होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम या आई. बी. सी. और अंशदाताओं के तहत नियुक्त परिसमापक को बाध्य करता है।

कम्पनी अधिनियम 1956: धारा 391 और मेघल गृह

बालासुब्रमण्यन ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, मिहीर एच मफतलाल बनाम में पहले के फैसले को स्वीकार किया। मफतलाल इंडस्ट्रीज Ltd.37 जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र से निपटती थी न्यायालय (या कंपनी विधि बोर्ड जो उस समय था) दो कंपनियों के विलय या एकीकरण की योजना को मंजूरी देते समय। जैसा कि इस न्यायालय ने उल्लेख किया है, पहले के निर्णय में परिसमापन में किसी हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं था कि क्या "किसी भी अतिरिक्त परीक्षण को संतुष्ट करना होगा जब संबंधित कंपनी परिसमापन में है और इसके संबंध में एक समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है"। विशेष रूप से एक कंपनी के साथ व्यवहार करते हुए, जिसे समाप्त करने का आदेश दिया गया है, इस न्यायालय ने कहा कि कंपनी न्यायालय (जिसके समक्ष पूर्ववर्ती धारा 391 के तहत अधिकार क्षेत्र भौतिक समय पर निहित था) को यह देखना आवश्यक था कि क्या योजना कंपनी के व्यवसाय के पुनरुद्धार पर विचार करती है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 47. जब किसी कंपनी को बंद करने का आदेश दिया जाता है, तो उसकी संपत्ति

आधिकारिक परिसमापक के कब्जे में रखे जाते हैं। परिसंपत्ति

कस्टोडिया लेजिस बन जाते हैं। कंपनी के पुनरुद्धार के अभाव में, आधिकारिक परिसमापक द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की प्राप्ति और आय का वितरण कंपनी को किया जाता है।

अंततः कंपनी के लेनदार, कर्मचारी और योगदानकर्ता

37 (1997) 1 एस. सी. सी. 579 अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 481 के तहत एक आदेश द्वारा कंपनी की मृत्यु हो गई, जिसे पारित किया जा रहा है। लेकिन, अंतिम कदम उठाने से पहले या परिसंपत्तियों के निपटारे से पहले, कंपनी के पुनरुद्धार के लिए किसी योजना या प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कंपनी न्यायालय के रास्ते में कुछ भी नहीं है। उस संदर्भ में, अदालत को यह देखना आवश्यक है कि क्या यह योजना कंपनी के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने पर विचार करती है, लेनदारों को भुगतान करने के लिए प्रावधान करती है या

धारा 529 और धारा 529 ए के संदर्भ में श्रमिकों के दायित्व को पूरा करने के लिए उनके दावों को पूरा करना। अधिनियम से।
बेशक, अदालत को योजना की ईमानदारी को देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सामने रखा गया है वह एक चाल नहीं है

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान करना।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एक कंपनी के मामले में जिसे समाप्त कर दिया गया है, उसे सार्वजनिक हित, वाणिज्यिक नैतिकता और कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रामाणिक इरादे के अस्तित्व के पहलुओं को समझना होगा, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या धारा 391 के तहत एक समझौता या व्यवस्था को स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय शेयरधारकों के वाणिज्यिक विवेक पर अपील में नहीं बैठेगा, "यह निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेगा कि क्या परिसमापन में चली गई कंपनी को पुनर्जीवित करने का कोई वास्तविक प्रयास है और क्या इस तरह का पुनरुद्धार हो रहा है। लोक हित और वाणिज्यिक नैतिकता के अनुरूप "। मामले के तथ्यों पर, अदालत ने पाया कि यह मानना मुश्किल था कि "यह कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक योजना है, इसके पीछे स्पष्ट वैधानिक इरादा है।

धारा 391 के तहत एक प्रस्ताव पर विचार करना। इन टिप्पणियों से

परिसमापक परिसंपत्ति के वितरण के लिए संरक्षक होता है। परिसमापन में किसी कंपनी के संबंध में समझौता या व्यवस्था कंपनी के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना चाहिए, यह (जैसा कि अदालत ने इसे कहा है) परिसमापन में एक कंपनी के संबंध में "धारा 391 के तहत एक प्रस्ताव पर विचार करने के पीछे स्पष्ट वैधानिक इरादा" है।

आई. बी. सी. परिसमापन और धारा 230 एक वैधानिक योजना

निरंतरता 64. अब, आई. बी. सी. के निकाय में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की योजना का कोई संदर्भ नहीं है।

हालाँकि धारा 230 की उप-धारा (1) को [2021] 3 एस. सी. आर. से संशोधित किया गया था।

15 नवंबर 2016 ताकि एक परिसमापक के आवेदन पर प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की योजना की अनुमति दी जा सके जिसके पास है

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया। अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री संदीप बजाज के प्रस्तुत करने का आधार यह है कि धारा 230 आई. बी. सी. द्वारा विनियमित नहीं है, बल्कि इससे स्वतंत्र एक प्रावधान है, हालांकि उप-धारा (1) के संशोधन के बाद, आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा एक समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित की जा सकती है।

इस निवेदन के अनुरूप, उन्होंने आग्रह किया कि मेघालय गृह (उपरोक्त) में निर्णय यह मानता है कि परिसमापक एक अतिरिक्त व्यक्ति है जो 1956 के अधिनियम की धारा 391 (2013 के अधिनियम की धारा 230 के अनुरूप) के तहत आवेदन जमा कर सकता है। श्री बजाज का प्रस्तुत करना हालांकि एक कंपनी के साथ उनके जुड़ाव में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों के बीच महत्वपूर्ण अंतरफलक से चूक जाता है, जिसके संबंध में आई. बी. सी. के प्रावधानों को लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आई. बी. सी. की धारा 33 के तहत परिसमापन का आदेश दिया गया है। आई. बी. सी. के तहत कंपनी का परिसमापन, जैसा कि इस न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों में जोर दिया था, अंतिम उपाय का विषय है। धारा 33 में एन. सी. एल. टी. की आवश्यकता है, जो इस रूप में कार्य करता है -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करने के लिए जहां:

दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति से पहले

((i)

या इसके पूरा होने के लिए विचार की गई अधिकतम अवधि उप-धारा के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(6) धारा 30; या

((ख)

समाधान योजना को धारा 31 के तहत अस्वीकार कर दिया गया है

प्रावधान की आवश्यकताओं का पालन न करना।

65. धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए आदेश, अध्याय II के तहत सी. आई. आर. पी. के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करना है परिसमापन के उद्देश्य से एक

परिसमापक। धारा 35 यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन, परिसमापक के पास प्रावधान में उल्लिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे।

66. उपरोक्त चर्चा से जो पता चलता है वह यह है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों में एक व्यापक योजना है, पहला, अरुण कुमार जगतरामका बनाम की शुरुआत के लिए।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सी. आई. आर. पी. धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार के कहने पर या धारा 9 के तहत परिचालन लेनदार या धारा 10 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर। अध्याय II में धारा 17 में एक अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर की नियुक्ति और धारा 21 के तहत एक सी. ओ. सी. के गठन का प्रावधान है। अध्याय 2 में धारा 30 में समाधान योजना प्रस्तुत करने और धारा 31 में योजना के अनुमोदन पर विचार किया गया है। परिसमापन एक विशिष्ट अध्याय-अध्याय III का एक हिस्सा है। धारा 33 के तहत परिसमापन पर उन विशिष्ट घटनाओं में विचार किया जाता है जो उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में उल्लिखित हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

67. अब, यह इस पृष्ठभूमि में है कि उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में उन तीन तरीकों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है जिनमें एक पुनरुद्धार किया जाता है।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत विचार किया जाता है। उन तरीकों में से पहला पुनरुद्धार आई. बी. सी. के अध्याय II के प्रावधानों में स्पष्ट सी. आई. आर. पी. के रूप में है। दूसरा तरीका है जहां निगमित देनदार या उसके व्यवसाय को विनियमन 32 के खंड (ई) और (एफ) के दायरे में एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है। तीसरा तब है जब 2013 के अधिनियम की धारा 230 में प्रदान किए गए तौर-तरीकों के माध्यम से पुनरुद्धार पर विचार किया जाता है। ए.

धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना, एक कंपनी के संदर्भ में जो आई. बी. सी. के तहत परिसमापन में है, धारा 33 के तहत एक आदेश और धारा 34 के तहत परिसमापक की नियुक्ति का पालन करती है। जबकि आई. बी. सी. में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों की कोई प्रत्यक्ष मान्यता नहीं है, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 27 फरवरी 2019 को वाई शिवराम प्रसाद बनाम में एक निर्णय दिया गया था। एस धनपाल 3 9. एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने निर्णय के दौरान कहा कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान

परिसमापक द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में 2013 के अधिनियम की धारा 230 के संदर्भ में समझौता या व्यवस्था शामिल है।

ताकि निगमित देनदार को उसके प्रबंधन और "परिसमापन द्वारा मृत्यु" से बचाकर उसका पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिए गए निर्णय में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि धारा 230 के तहत आदेश पारित करते समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दोहरी भूमिका निभाएगा: एक आई. बी. सी. के तहत परिसमापन के मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में और दूसरा 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत आदेश पारित करने के लिए एक न्यायाधिकरण के रूप में। एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय के बाद 25 जुलाई 2019 को परिसमापन प्रक्रिया में एक संशोधन किया गया था।

आई. बी. बी. आई. द्वारा विनियम ताकि 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को संदर्भित किया जा सके।

38 " आई. आर. पी. 39 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 172; यहाँ, "वाई शिवराम प्रसाद" [2021] 3 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित है।

68. आई. बी. सी. और विधायी में अंतर्निहित वैधानिक योजना

2013 के अधिनियम की धारा 230 के साथ इसके जुड़ाव का इतिहास, एक कंपनी के संदर्भ में जो परिसमापन में है, वर्तमान मामले में विवाद के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण परिणाम है। पहला बिंदु यह है कि आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत परिसमापन उस क़ानून के तहत विचार की गई कार्यवाही के पूरे सरगम का अनुसरण करता है। ध्यान देने योग्य दूसरा बिंदु यह है कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान पुनरुद्धार के तरीकों में से एक की परिकल्पना अधिनियम की धारा 230 के सक्षम प्रावधानों में की गई है। 2013 का, जिसके लिए आई. बी. सी. की धारा 34 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा सहारा लिया जा सकता है। तीसरा बिंदु यह है कि परिसमापक की वैधानिक रूप से विचार की गई गतिविधियाँ धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की योजना को आमंत्रित करते समय बंद नहीं होती हैं। द.

आई. बी. सी. परिसमापन में परिसमापक की नियुक्ति धारा 34 में प्रदान की गई है और उनके कर्तव्य धारा 35 में निर्दिष्ट हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए, आई. बी. सी. के तहत नियुक्त परिसमापक, सबसे बढ़कर, कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है।

ताकि इसे कॉर्पोरेट मृत्यु की संभावना से बचाया जा सके। इसका परिणाम

पुनरुद्धार या समझौते की योजना की मंजूरी और इसकी मंजूरी इसके बाद उप-धारा (6) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा यह कहा गया है कि यह योजना परिसमापक सहित हितधारकों पर एक बाध्यकारी चरित्र प्राप्त करती है, जिनके पास

आई. बी. सी. के तहत नियुक्त किया गया। इस पृष्ठभूमि में, श्री बजाज की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि 2013 के अधिनियम की धारा 230 एक स्वतंत्र प्रावधान है जिसका अधिनियम के प्रावधानों से कोई संबंध नहीं है। आईबीसी। निस्संदेह, 2013 के अधिनियम की धारा 230 अपने दायरे में इस अर्थ में व्यापक है कि यह केवल परिसमापन या परिसमापन में एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है।

निगमित देनदार जिसे आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत समाप्त किया जा रहा है। जाहिर है, इसलिए, आई. बी. सी. की कठोरता 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, जहां प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था की योजना एक ऐसी संस्था के संबंध में है जो विषय नहीं है।

आई. बी. सी. के तहत एक कार्यवाही। लेकिन, जब, वर्तमान मामले की तरह, 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है या, जैसा कि वर्णित किया जा सकता है, परिसमापन कार्यवाही के लिए ट्रिगर जो आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई है, यह बन जाता है

प्रावधानों के दोनों सेटों को सामंजस्य में पढ़ना आवश्यक है। एक सामंजस्यपूर्ण दोनों कानूनों के बीच निर्माण 40 यह सुनिश्चित करेगा कि

40 40 जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (पहला संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस 2015) जो नोट करता है कि "आगे, ये सिद्धांत [सामंजस्यपूर्ण के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं।

निर्माण] को दो अलग-अलग अधिनियमों के बीच संघर्ष को हल करने में भी लागू किया गया है और निम्नलिखित उदाहरण प्रदान किए गए हैं-"जोगेंद्र लाल साहा बनाम। बिहार राज्य, 1991 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 654 (वन अधिनियम, 1927 की धारा 82 और 83 विशेष प्रावधान अरुण कुमार जगरामका बनाम।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक तरफ धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना का पालन किया जा रहा है, यह इस तरह से होता है जो इसके अनुरूप है

आई. बी. सी. के अंतर्निहित सिद्धांत क्योंकि यह योजना एक इकाई के संबंध में प्रस्तावित है जो आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत परिसमापन के दौर से गुजर रही है। इस प्रकार, कंपनी को उसके प्रबंधन और कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट बेतुकी बात होगी यदि वे व्यक्ति जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य हैं, परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों की बिक्री में भाग लेते हैं या 'चालू संस्था' के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री में भाग लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाती है।

2013 से।

69. आई. बी. सी. ने धारा के तहत अयोग्यता का प्रावधान किया है।

29ए जो सी. आई. आर. पी. के दौरान काम करता है। धारा 35 (1) (च) में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है जो अध्याय 3 में निहित परिसमापन प्रावधानों का एक हिस्सा है। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों द्वारा आई. बी. सी. के अध्याय III के साथ प्रदान किए गए वैधानिक संबंध के संदर्भ में, जहां आई. बी. सी. के तहत परिसमापन में एक कंपनी की एक योजना प्रस्तावित की गई है, यह मानना दूर की बात होगी कि धारा 29ए के साथ पठित धारा 35 (1) (एफ) के तहत संलग्न अयोग्यताएं तब लागू नहीं होंगी जब धारा 230 को लागू करने की मांग की जाती है। इस तरह की व्याख्या के परिणामस्वरूप आई. बी. सी. के प्रावधान विफल हो जाएंगे और इसे त्याग दिया जाना चाहिए।

70. अपीलार्थियों द्वारा एक तर्क भी प्रस्तुत किया गया है और

याचिकाकर्ता जो आई. बी. सी. की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) के तहत अयोग्यताओं को समझौता और व्यवस्था की योजना से जोड़ते हैं 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा क्योंकि अपीलार्थी को प्रस्तुत करने के लिए "अयोग्य" माना जाएगा।

जो माल की बिक्री अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल है); जसबीर सिंह बनाम। विपिन कुमार जग्गी, (2001) 8 एस. सी. सी. 289 (एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 64 दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 307 पर लागू होगी क्योंकि यह एक विशेष अधिनियम में एक विशेष प्रावधान है जो बाद में भी है); पी. वी. हेमलता बनाम कट्टम कंडी पुथिया मलियाकल सहीदा, (2002) 5 एस. सी. सी. 548 (त्रावणकोर कोचीन उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 23 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 98 (3) के बीच संघर्ष को बाद वाले को विशेष कानून मानकर हल किया गया); तालचर नगर पालिका बनाम। तालचेर विनियमित बाजार समिति, (2004) 6 एस. सी. सी. 178 (उड़ीसा कृषि

उपज बाजार अधिनियम, 1956 की धारा 4 (4) को उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 की धारा 295 पर प्रबल माना गया था क्योंकि पूर्व एक विशेष प्रावधान था और एक गैर-अस्थायी खंड के साथ भी शुरू किया गया था); और इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड v. मोटोरोला इंक, (2005) 2 एस. सी. सी. 145 (लेटर्स पेटेंट और इसके तहत बनाए गए नियम संबंधित उच्च न्यायालय के लिए विशेष कानून का गठन करते हैं और सिविल के सामान्य प्रावधानों से विस्थापित नहीं होते हैं।

प्रक्रिया संहिता) "[2021] 3 एस. सी. आर.

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत एक प्रस्ताव। हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

विवाद। जैसा कि ऊपर बताया गया है, समाधान योजना प्रस्तुत करने, परिसमापन में किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने और परिसमापन के दौरान कंपनी को चालू संस्था के रूप में बेचने के चरण, सभी इंगित करते हैं कि प्रवर्तक या कंपनी के प्रबंधन में उन लोगों को कंपनी में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए, इन चरणों के दौरान भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव करना, जब कंपनी चल रही हो।

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत परिसमापन एक समान निरंतरता में निहित है। इस प्रकार, पूर्व स्थितियों में लागू होने वाले प्रतिबंधों को स्वाभाविक रूप से बाद वाले के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थितियों के साथ समान व्यवहार किया जाए।

डी. 3 'क्लीन स्लेट'

71. प्रस्तुतियों का एक महत्वपूर्ण अंग जिसका आग्रह किया गया है

अपीलार्थियों और याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि धारा 12-ए दोनों आई. बी. सी. और 2013 के अधिनियम की धारा 230 "निपटान तंत्र" के रूप में वर्णित है जो "समाधान तंत्र" से अलग है। यह आग्रह किया गया है कि यदि कोई समाधान संभव नहीं है तो निगमित देनदार परिसमापन के लिए आगे बढ़ेगा। धारा 29 ए को रोकने के लिए बनाया गया था

2013 के अधिनियम के उसी आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि धारा 29 ए के तहत अयोग्य लोगों के वर्ग में आने वाले व्यक्ति को समझौते की योजना प्रस्तुत करने से रोकने का कोई कारण नहीं है या 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत व्यवस्था। ऊपर दर्ज की गई प्रस्तुतियों की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं का आग्रह किया गया है:

((i)

धारा 29 ए और धारा 35 (1) (एफ) द्वारा अनुध्यात अयोग्यता को धारा 230 में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। आई. बी. सी. में संशोधन के बाद भी 2013 का अधिनियम;

धारा 230 के तहत, एक प्रस्तुत करने के लिए सक्षम व्यक्ति

((ख)

योजनाएँ हैं यू. एन. कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील औरई. आर. लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) कंपनी या उसका परिसमापक;

ऋणदाताओं; या

(ख)

((ग)

एक सदस्य।

धारा 230 किसी प्रवर्तक या व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है।

पूर्व-प्रबंधन से संबंधित, समझौता या व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव करने से। इससे पूर्ववर्ती प्रबंधन को आगे आने और कंपनी को बचाने के लिए "सामने आने का अवसर" मिलता है।

i) आई. बी. सी. की धारा 30 (1) के तहत, एक समाधान योजना एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है जो धारा 29ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं है। धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत, संकल्प योजना के अनुमोदन के लिए, 66 प्रतिशत मतदान।

केवल वित्तीय लेनदारों के हिस्से की आवश्यकता होती है। धारा 30 की उप-धारा 2 (बी) में समाधान पेशेवर से यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या समाधान योजना के लिए प्रावधान है

प्रचालन लेनदारों के ऋण का भुगतान जो परिसमापन की स्थिति में उन्हें देय राशि से कम नहीं होगी। दूसरी ओर, 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधान कहीं अधिक सख्त हैं क्योंकि उनके लिए 75 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है और जहां कंपनी परिसमापन में है, वहां सभी लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है।

परिचालन लेनदारों सहित;

v) धारा 35 (1) (च) परिसमापक पर लागू होती है लेकिन एन. सी. एल. टी. पर लागू नहीं होती है, जो या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करती है;-) अनुमोदित होने पर एक समाधान योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है और 2013 के अधिनियम की धारा 230 के विपरीत सभी लाभों के साथ भाग लिया जाता है।

i) परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के विनियम 32 के तहत, कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री के लिए दो तरीकों पर विचार किया गया है, जबकि कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए चार तरीकों पर विचार किया गया है। धारा 35 (1) (च) के तहत निषेध केवल उस बिक्री पर लागू होगा जो विनियमन 32 द्वारा शासित है।

समझौते की योजना के लिए कोई आवेदन नहीं है या

व्यवस्था जो धारा 230 के तहत प्रस्तावित है; और [2021] 3 एस. सी. आर.

(vii) आई. बी. सी. में प्रभाव डालने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

समझौता या व्यवस्था, और चूंकि एकमात्र प्रावधान धारा 230 में निहित है, इसलिए आई. बी. सी. के साथ कोई विसंगति नहीं है।

आवेदन वापस लेना

72. आई. बी. सी. की धारा 12ए 41 को 6 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया था।

2018 के 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा जून 2018। धारा 12ए के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7,9 और 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है, जिसमें सी. ओ. सी. के 90 प्रतिशत मतदान हिस्से की मंजूरी हो।

ऐसी रीति जो विनिर्दिष्ट की जाए। दिवाला का नियम 8 और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 201642

दूसरी ओर, विचार करता है कि एन. सी. एल. टी., के रूप में कार्य कर रहा है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, नियम 4 (वित्तीय लेनदार द्वारा), नियम 6 (परिचालन लेनदार द्वारा) के तहत किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

या नियम 7 (निगमित आवेदक द्वारा) आवेदक द्वारा उसके प्रवेश से पहले किए गए अनुरोध पर। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 30-ए में ऋण वापसी के प्रावधान हैं।

आवेदन। विनियमन 30-ए 4 3 के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से था, एक आवेदन

41 '12ए। धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेना-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नब्बे प्रतिशत की मंजूरी के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। लेनदारों की समिति का मतदान हिस्सा, इस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए।

42 " 4 * न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियम "3" 30ए। आवेदन वापस लेना-(1) धारा 12ए के तहत वापस लेने के लिए एक आवेदन अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प को प्रस्तुत किया जाएगा। पेशेवर, जैसा भी मामला हो, विनियमन 36ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी करने से पहले अनुसूची के फॉर्म एफ. ए. में।

(2) उप-विनियम (1) में आवेदन के साथ विनियम 31 के खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए आवेदन की तारीख तक अनुमानित लागत के लिए बैंक गारंटी होगी।

(3) समिति अपने गठन के सात दिनों के भीतर या आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो, उप-विनियम (1) के तहत किए गए आवेदन पर विचार करेगी।

(4) जहां नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ समिति द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जाती है, वहां समाधान पेशेवर ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से उप-विनियमन (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, उप-विनियम (4) के तहत प्रस्तुत आवेदन को मंजूरी दे सकता है। अरुण कुमार जगतरामका बनाम।

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए विनियमन 36-ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी करने से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था। स्विस रिबन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय में, जो 25 जनवरी 2019 को दिया गया था, यह विचार किया गया था कि आवेदन के प्रवेश से शुरू होने वाली अवधि और सी. ओ. सी. के गठन की तारीख के बीच वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 25 जुलाई को विनियमन 30-ए 44 का प्रतिस्थापन किया गया। 2019. इसके स्थान पर, विनियम 30-ए निर्धारित करता है कि धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए एक आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किया जा सकता है:

44 " 30ए. आवेदन वापस लेना-(1) धारा 12ए के तहत वापस लेने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है।

(क) समिति के गठन से पहले, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर के माध्यम से; (ख) समिति के गठन के बाद, आवेदक द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर के माध्यम से, जैसा भी मामला हो सकता है:

बशर्ते कि जहां विनियम 36ए के तहत ब्याज की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद खंड (बी) के तहत आवेदन किया जाता है, वहां आवेदक ऐसे निमंत्रण जारी होने के बाद वापसी को उचित ठहराते हुए कारण बताएगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन बैंक गारंटी के साथ अनुसूची के फॉर्म एफ. ए. में किया जाएगा।

(क) विनियम 33 के प्रयोजनों के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर पर या उसके द्वारा उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक किए गए अनुमानित खर्चों के लिए; या

(ख) विनियमन 31 के खंड (एए), (एबी), (सी) और (डी) के प्रयोजनों के लिए उप-अधिनियम के खंड (बी) के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक किए गए अनुमानित खर्चों के लिए।

नियम (1)। (3) जहां निकासी के लिए आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (ए) के तहत है, अंतरिम समाधान पेशेवर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आवेदक की ओर से, इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर। (4) जहां निकासी के लिए आवेदन उप-विनियम (1) के खंड (बी) के तहत है, समिति सात के भीतर आवेदन पर विचार करेगी।

इसकी प्राप्ति के दिनों में। (5) जहां उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट आवेदन को समिति द्वारा नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ अनुमोदित किया जाता है, वहां समाधान पेशेवर ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से समिति के अनुमोदन के साथ ऐसा आवेदन न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। (6) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, उप-विनियम (3) या (5) के तहत प्रस्तुत आवेदन को मंजूरी दे सकता है।

(7) जहां उप-विनियम (6) के तहत आवेदन को मंजूरी दी जाती है, वहां आवेदक निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों के लिए एक राशि जमा करेगा।

उप-विनियम (2) का खंड (क) या खंड (ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख तक, जैसा कि अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर, निगम ऋणी के बैंक खाते में, जिसमें विफल रहने पर उप-विनियम (2) के तहत प्राप्त बैंक गारंटी को संहिता के तहत आवेदक के खिलाफ अनुमेय किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

सी. ओ. सी. के गठन से पहले, आवेदक द्वारा

(अ)

आई. आर. पी. और

सी. ओ. सी. के गठन के बाद, आवेदक द्वारा

(ख)

आई. आर. पी. या आर. पी. जैसा भी मामला हो।

हालांकि, जहां खंड (बी) के तहत आवेदन रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद किया जाता है, आवेदक को आवेदन जारी होने के बाद निकासी को उचित ठहराते हुए कारण बताना होता है।

निमंत्रण। ब्रिलियंट अलॉयज (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण जारी होने के बाद भी इसे वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। स्विस रिबन (ऊपर) में, धारा 12-ए के प्रावधानों को इस चुनौती के खिलाफ बरकरार रखा गया था कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन ने ब्रिलियंट अलॉयज (उपरोक्त) मामले में निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि विनियमन 30-ए (1) को अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका माना गया है क्योंकि किसी मामले में रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी करने के बाद भी असाधारण कारणों से वापस लेने के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। धारा 36-ए के तहत। धारा 12-ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

" 82. यह स्पष्ट है कि एक बार धारा 7 से 9 के तहत किसी लेनदार की याचिका को स्वीकार करने के बाद संहिता लागू हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जो कार्यवाही होती है, वह एक सामूहिक कार्यवाही होने के नाते, आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है। आर. ई. एम. में एक कार्यवाही होने के कारण, यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्तिगत निगमित देनदार को अपने दावे का निपटान करने की अनुमति देने से पहले समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निकाय से परामर्श किया जाना चाहिए। एक सवाल उठता है कि लेनदारों की समिति के गठन से पहले क्या होना है (निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार, किसी भी समय लेनदारों की समिति नियुक्त की जा सकती है)। अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर)। हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी स्तर पर जहां अभी तक लेनदारों की समिति का गठन नहीं किया गया है, एक पक्ष कर सकता है

एन. सी. एल. टी. से सीधे संपर्क करें, जो न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वापस लेने या निपटान

के लिए आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है। सभी संबंधित पक्षों को सुनने और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा।

83. धारा 12-ए के प्रावधान के खिलाफ मुख्य जोर यह तथ्य है कि ऋणदाताओं की समिति के नब्बे प्रतिशत सदस्यों को अरुण कुमार जगरामका बनाम.

जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निकासी की अनुमति दें। इस उच्च सीमा को समझाया गया है

आई. एल. सी. रिपोर्ट के रूप में सभी वित्तीय लेनदारों को अपना सिर रखना होगा इस तरह की निकासी की अनुमति देने के लिए, सामान्य रूप से, सभी लेनदारों को शामिल करने वाला एक सर्वव्यापी समझौता, आदर्श रूप से, किया जाना चाहिए। यह बताता है कि नब्बे प्रतिशत, जो कि काफी हद तक सभी वित्तीय ऋणदाता हैं, को व्यक्तिगत निकासी या निपटान के लिए अपनी मंजूरी क्यों देनी पड़ती है। किसी भी मामले में, नब्बे प्रति का आंकड़ा

प्रतिशत, यह दिखाने के लिए आगे कुछ भी नहीं है कि यह मनमाना है, विधायी नीति के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, जिसे रिपोर्ट (ऊपर) द्वारा समझाया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि धारा के तहत

60 संहिता के अनुसार, लेनदारों की समिति के पास इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं है। यदि लेनदारों की समिति मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत निपटान और/या निकासी दावे, एन. सी. एल. टी. को अस्वीकार करती है, और उसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. हमेशा इस तरह के निर्णय को अलग कर सकता है।

संहिता की धारा 60। इन सभी कारणों से, हमारा विचार है

कि धारा 12-ए भी संवैधानिक मस्टर को पारित करती है।

निकासी सरलीकरण और योजना के बीच अंतर

व्यवस्था की

73. निवेदन यह है कि धारा 7,9 और 10 के तहत आवेदन वापस लेने पर, कंपनी वापस चली जाती है।

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए धारा 29ए के तहत अयोग्य होने के बावजूद उसी प्रवर्तक को। इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करने से प्रमोटर को रोकने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।

74. प्रस्तुतिकरण में एक मौलिक भ्रांति है। धारा 12-ए के तहत निकासी के लिए आवेदन का उद्देश्य इसकी पराकाष्ठा नहीं है -

समाधान प्रक्रिया। यह, जैसा कि वैधानिक योजना से पता चलता है, प्रक्रिया की शुरुआत में है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों का नियम 8, जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले वापस लेने पर विचार करता है। प्रवेश। धारा 12-सी. ओ. सी. के नब्बे प्रतिशत मतदान शेयरों के अनुमोदन की आवश्यकता के लिए एक आवेदन को वापस लेना, जिसे धारा 7,9 और 10 के तहत स्वीकार किया गया है। का निर्णय

स्विस रिबन में यह न्यायालय (ऊपर निकाला गया पैरा 82) यह निर्धारित करता है कि जहां अभी तक सी. ओ. सी. का गठन नहीं किया गया है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले एन. सी. एल. टी. को सीधे वापस लेने के लिए भेजा जा सकता है, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियमों के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वापस लेने के लिए आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है या

पक्षकारों को सुनने और प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद समझौता सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। दूसरे शब्दों में निकासी आवेदक द्वारा की जाती है। निकासी से निगमित देनदार की देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनी रहती है। धारा 12-ए के तहत निकासी प्रकृति में है।

निपटान, जिसे धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना और 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत स्वीकृत योजना दोनों से अलग किया जाना है। मंजूरी मिलने पर एक समाधान योजना

आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत निगमित देनदार, उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों (केंद्र और राज्य सहित) पर बाध्यकारी है।

सरकारें), स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक। धारा 31 के तहत एक समाधान योजना की मंजूरी के परिणामस्वरूप एक "क्लीन स्लेट" होता है।

जैसा कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है। सतीश कुमार गुप्ता 45. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

" 105. संहिता की धारा 31 (1) यह स्पष्ट करती है कि एक बार ऋणदाताओं की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद यह गारंटर सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। यही कारण है कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सफल समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को एक नए स्लेट पर चलाना शुरू कर दे। एस. बी. आई. में वी. वी. रामकृष्णन [एस. बी. आई. बनाम। वी. रामकृष्णन, (2018) 17 एससीसी 394: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 458], संहिता की धारा 31 पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने निर्णय दिया है: (एस. सी. सी पी.

411 , पैरा 25)

" 25. अधिनियम की धारा 31 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया गया था

उत्तरदाताओं द्वारा। इस धारा में केवल यह कहा गया है कि एक बार ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्रभावी हो जाने के बाद, यह निगमित देनदार के साथ-साथ गारंटर पर भी बाध्यकारी होगी। यह इस कारण से है कि अन्यथा, अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 के तहत, कोई भी परिवर्तन

जमानतदार की सहमति के बिना कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दिए गए ऋण से गारंटर को भुगतान से राहत मिलेगी। वास्तव में, धारा 31 (1) यह स्पष्ट करती है कि -

गारंटर भुगतान से बच नहीं सकता है क्योंकि समाधान योजना, जिसे मंजूरी दे दी गई है, में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो सकते हैं - ऐसे गारंटर द्वारा किए जाने वाले भुगतान के लिए। शायद यही कारण है कि ऊपर निर्दिष्ट नियमों और विनियम 36 (2) में निहित प्रपत्र 6 के अनुलग्नक 6 (ई) में व्यक्तिगत गारंटी के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है।

45 (2020) 8 एस. सी. सी. 531 अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निगमित देनदार के ऋणों के संबंध में दिया गया। प्रत्यर्थियों के रुख का समर्थन करने की जगह, यह स्पष्ट है कि वास्तव में, धारा 31 एक व्यक्तिगत गारंटर के पक्ष में एक और कारक है जिसे बकाया ऋणों का भुगतान करना पड़ता है।

बिना किसी रोक के उसे बचाने के लिए आवेदन करना। " " " "

" 107. इसी कारण से, विवादित एन. सी. एल. ए. टी. निर्णय [स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम. सतीश कुमार गुप्ता, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 388] ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुण-दोष पर निर्णय लिए गए दावों के अलावा जो दावे मौजूद हो सकते हैं, अब संहिता की धारा 60 (6) के संदर्भ में एक उपयुक्त मंच द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, यह भी संहिता की धारा 31 के तर्क के खिलाफ है। एक सफल समाधान आवेदक का अचानक सामना नहीं किया जा सकता है " उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के बाद अनिर्णित दावों को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह एक हाइड्रा हेड के उभरने के बराबर होगा।

जो एक द्वारा देय राशि को अनिश्चितता में डाल देगा

संभावित समाधान आवेदक जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संभाल लेगा। सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक नए सिरे से करता है।

स्लेट, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर बताया है। इन कारणों से, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले को भी इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

75. धारा 31 के तहत लाभ, के अनुमोदन के बाद

समाधान योजना, यह है कि सफल समाधान आवेदक "एक नए स्लेट" पर कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाना शुरू कर देता है। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना नहीं हो सकती है।

निश्चित रूप से एक आवेदन के निकासी सरलीकरण के साथ तुलना की जाए, जैसा कि आई. बी. सी. की धारा 12-ए के तहत विचार किया गया है। धारा की उप-धारा (6) के तहत मंजूरी प्राप्त करने पर समझौता या व्यवस्था की एक योजना

230 , कंपनी, उसके लेनदारों और सदस्यों या व्यक्तियों या लेनदारों के एक वर्ग के साथ-साथ परिसमापक (2013 के अधिनियम या आई. बी. सी. के तहत नियुक्त) को बाध्य करता है। दोनों, होने पर समाधान योजना

आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत अनुमोदित और धारा की उप-धारा (6) के तहत स्वीकृत होने पर समझौता या व्यवस्था की योजना

230 , प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे अलग किया जाना चाहिए [2021] 3 एस. सी. आर.

धारा 12-ए के तहत आवेदन को केवल वापस लेने से। वैधानिक संदर्भ और इसके परिणामों के संदर्भ में इन प्रक्रियाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर है और बाद वाले को पहले वाले के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

76. इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है कि धारा

35 (1) (च) केवल उस परिसमापक पर लागू होता है जो परिसमापन में निगमित देनदार की संपत्ति की बिक्री करता है, लेकिन न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाले एन. एल. सी. टी. को नहीं, जब वह 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आई. बी. सी. के अध्याय III के प्रावधानों के तहत नियुक्त परिसमापक को कई शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं। आई. बी. सी. की धारा 37 से 42 परिसमापन के दौरान परिसमापक की शक्तियों का उदाहरण हैं। परिसमापक कई कार्यों का अभ्यास करता है जो एक अर्ध-न्यायिक प्रकृति और चरित्र के होते हैं। धारा 35 (1) स्वयं स्पष्ट करती है।

कि परिसमापक को सौंपी गई शक्तियाँ और कर्तव्य "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन हैं"। परिसमापक, दूसरे शब्दों में, उन कार्यों का अभ्यास करता है जिन्हें उपयुक्त बनाया गया है

एन. सी. एल. टी. की अधिकारिता, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। इसलिए यह अभिनिर्धारित करना कि धारा 35 (1) (च) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अयोग्यता की न्यायाधिकरण द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था की योजना के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से अवहेलना की जा सकती है। आई. बी. सी. के तहत परिसमापन के तहत, कानून के प्रावधानों का सही निर्माण नहीं होगा।

डी. 4 विनियम 2 बी-परिसमापन प्रक्रिया विनियमों की संवैधानिक वैधता

77. 25 जुलाई 2019 को पेश किए गए विनियम 2 बी (1) में प्रावधान है कि जहां संविधान की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है।

2013 के अधिनियम के अनुसार, यह धारा 33 की उप-धारा (1) और (4) के तहत परिसमापन के आदेश के नब्बे दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। विनियमन 2 बी के प्रावधान को 6 जनवरी 2020 से लागू किया गया है।

यह निर्धारित करें कि एक व्यक्ति जो आई. बी. सी. के तहत पात्र नहीं है, एक प्रस्तुत करने के लिए

निगमित देनदार के दिवाला समाधान के लिए समाधान योजना इस तरह के समझौते या व्यवस्था के लिए किसी भी तरह से पक्षकार नहीं होगी।

78. आई. बी. बी. आई. ने शुरू में 27 अप्रैल 2019 को एक चर्चा पत्र निकाला। चर्चा-पत्र के पैरा 3.1 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" 3.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था। यदि समझौता या अरुण कुमार जगतरामका बनाम का प्रस्ताव है।

जिंदल स्टील एंड वेयर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

व्यवस्था, एक सदस्य, एक लेनदार या परिसमापक समझौता अधिनियम 2013 (अधिनियम) (संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नहीं) के तहत एन. सी. एल. टी. को आवेदन कर सकता है और फिर अधिनियम के अनुसार एन. सी. टी. एल. द्वारा निर्देशित तरीके से आगे बढ़ सकता है। जबकि अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है, इसका उपयोग पहले किया जाना चाहिए और केवल इसके बंद होने/विफल होने पर, संहिता के तहत परिसमापन शुरू हो सकता है। विनियमों के साथ पठित संहिता में यह प्रावधान हो सकता है कि जहां एक विश्वसनीय प्रस्ताव बनाया जाता है

आदेश के सात दिनों के भीतर सीडी के समझौते या व्यवस्था के लिए अधिनियम की धारा 230 के तहत परिसमापक परिसमापन संहिता की धारा 33 के तहत, परिसमापक संहिता की धारा 33 के तहत परिसमापन के आदेश के दस दिनों के भीतर उक्त धारा के तहत एक आवेदन दायर करेगा। एक सदस्य या लेनदार 10 के भीतर अधिनियम की धारा 230 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

परिसमापन के क्रम के दिन। यदि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो परिसमापक परिसमापन के आदेश के 90 दिनों के भीतर धारा 230 के तहत प्रक्रिया को पूरा करेगा। विनियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि सी. ओ. ई. के तहत परिसमापन प्रक्रिया पहले शुरू होगी।

चार घटनाएँ:

(अ)

समझौता या व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है। दस दिन;

(ख)

एन. सी. एल. टी. धारा के तहत आवेदन को मंजूरी नहीं देता है। 230 अधिनियम का,

धारा 230 के तहत प्रक्रिया 90 के भीतर पूरी नहीं होती है।

((ग)

दिन या ऐसी विस्तारित अवधि जिसकी अनुमति दी जा सकती है

एनसीएलटी, या

धारा 230 के तहत प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी गई है

((घ)

अधिनियम की धारा 230 (6)।

प्रक्रिया के समापन के लिए एक तंग समय अनुसूची आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसमापन प्रक्रिया बिना किसी अनुचित देरी के संपन्न हो, समझौता या व्यवस्था के लिए।

79. आई. बी. बी. आई. ने अपने चर्चा पत्र में उल्लेख किया कि आई. बी. सी. की धारा 29-ए के तहत 2013 की सी. टी. की धारा 230 के तहत निर्धारित दायित्वों को लागू करने से इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा होंगी।

देखा गया:

" 3.3. 3 अयोग्यता: संहिता की धारा 35 (1) (च) के प्रावधान में कहा गया है कि परिसमापक अचल और चल वस्तुओं को नहीं बेचेगा। किसी भी व्यक्ति को परिसमापन में सीडी की संपत्ति या कार्रवाई योग्य दावे जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं है। यह धारा 29 ए के तहत अयोग्य व्यक्तियों के लिए जीसीएस को प्रतिबंधित करता है। लेकिन कानून ऐसा करता है।

स्तर का खेल का मैदान। कुछ हितधारकों का मानना है कि संहिता की धारा 29 ए के तहत अयोग्यता मानदंड अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौते या व्यवस्था पर भी लागू हो सकते हैं। अन्य हितधारक महसूस करें कि संहिता के तहत परिसमापन के विपरीत, जो ज्यादातर है

परिसमापक द्वारा संचालित, अधिनियम के तहत समझौता या व्यवस्था ज्यादातर न्यायाधिकरण द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा, संहिता की धारा 29 ए में कई अपवाद हैं, जबकि अधिनियम की धारा 230 सभी से संबंधित है।

सभी स्थितियों में कंपनियों के प्रकार। प्रैक्टिकल होगा।

के उद्देश्यों के लिए अयोग्यता के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ

अधिनियम की धारा 230। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि संहिता की धारा 29 ए के तहत अयोग्यता मानदंड समझौते पर लागू नहीं हो सकते हैं।

या अधिनियम की धारा 230 के तहत व्यवस्था।

जो भी हो, आई. बी. बी. आई. ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

प्रस्ताव। आई. बी. बी. आई. ने इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण विकसित किया कि क्या धारा 29 - ए को उसके बाद के चर्चा पत्र में 2013 के अधिनियम की धारा 230 पर लागू किया जाना चाहिए।

80. आई. बी. बी. आई. द्वारा 3 नवंबर 2019 को लाए गए चर्चा पत्र में आई. बी. सी. की धारा 29 ए के लागू होने पर चर्चा की गई। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता और व्यवस्था।

चर्चा पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एन. सी. एल. ए. टी. ने 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत आवेदन की अनुमति दी थी। उस संदर्भ में, चर्चा पत्र इस प्रकार नोट करता है:

" 21. संहिता की धारा 29 ए कुछ व्यक्तियों को प्रतिबंधित करती है -

समाधान आवेदक बनना/सी. आई. आर. पी. में समाधान योजना प्रस्तुत करना। संहिता की धारा 35 (1) (च) के प्रावधान में कहा गया है कि परिसमापक अचल और चल संपत्ति को नहीं बेचेगा।

या किसी भी व्यक्ति को परिसमापन में सीडी के कार्रवाई योग्य दावे जो है

समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं। इन प्रावधानों को 23 नवंबर, 2017 से संहिता में शामिल किया गया था, जबकि अधिनियम की धारा 230 को अरुण कुमार जगरामका बनाम के अधिनियमन के साथ संशोधित किया गया था।

जिंदल स्टील और

WER LTD. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कोड। अपात्र व्यक्तियों पर कोई स्पष्ट निषेध नहीं है

धारा 29 ए के तहत प्रस्ताव से समाधान योजनाएं प्रस्तुत करें

जिसके परिणामस्वरूप धारा 29 ए के तहत व्यक्ति अपात्र हो सकता है सीडी का नियंत्रण। इस प्रकार, जबकि संहिता की धारा 29 ए सीडी पर तब लागू होती है जब वह सी. आई. आर. पी. के तहत होती है और जब वह परिसमापन के तहत होती है।

प्रक्रिया, यह उसी सीडी पर लागू नहीं होता है जब यह चल रहा होता है

परिसमापन प्रक्रिया। इससे एक विसंगति पैदा हुई है कि धारा 29 ए पहले और बाद के चरण के दौरान लागू होता है

व्यवस्था करें। 22. संहिता की धारा 29 ए एक ऐसे व्यक्ति को बाहर रखती है, जो जानबूझकर काम करता है

चूककर्ता, जिसका लंबी अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों आदि के साथ खाता है और इसलिए, एक सफल व्यक्ति के लिए जोखिम होने की संभावना है।

किसी कंपनी की दिवालियापन का समाधान। यह तर्क समझौते या व्यवस्था के चरण पर समान रूप से लागू होता है। समझौता या व्यवस्था के स्तर पर धारा 29 ए की गैर-प्रयोज्यता प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है और बेईमान व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सकती है लेनदारों का खर्च। इस प्रकार, समान अवसर प्रदान करने के लिए संहिता और अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो सकता है।

81. चर्चा-पत्र में यह भी कहा गया है कि अन्य मुद्दों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी जोर देना आवश्यक था:

" एफ. क्या संहिता की धारा 29 ए के तहत अपात्र व्यक्तियों को समाधान आवेदक होने के लिए इसमें पक्षकार बनने से रोका जाना चाहिए?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था?

जी। या, सी. ओ. ई. के तहत परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 की प्रयोज्यता की समीक्षा की जानी चाहिए?

82. इसके बाद, सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। चर्चा वह है जो वह होने का दावा करती है- जनता में चर्चा का विषय। इसे आई. बी. बी. आई. की इस स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है

कि एक कैन्ट जो धारा 29ए के तहत अयोग्य है, वह 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत प्रेम या व्यवस्था की योजना प्रस्तुत कर सकता है। द.विनियमन 2ख के प्रावधानों का, विशेष रूप से परंतुक,

ओ अपन आधार पर विचार कयल जाय।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. की धारा 196

83. आई. बी. बी. आई. को सौंपी गई शक्तियाँ और कार्य आई. बी. सी. की धारा 196 में निर्दिष्ट किए गए हैं। धारा 196 (1) (टी) आई. बी. बी. आई. को निम्नलिखित रूप से विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है:

" (टी) दिवाला और दिवालियापन से संबंधित मामलों पर विनियम और दिशानिर्देश बनाएँ जो इस संहिता के तहत आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार या देनदार की परिसंपत्तियों के समयबद्ध निपटान के लिए तंत्र शामिल है; और

खंड (टी) आई. बी. बी. आई. को दिवाला और दिवालियापन से संबंधित मामलों पर नियम और दिशानिर्देश बनाने का अधिकार देता है, जो आई. बी. सी. के तहत आवश्यक हो सकते हैं।

धारा 240

धारा 240 (1) आई. बी. बी. आई. को निम्नलिखित शर्तों में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है:

" (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है, ताकि

इस संहिता के प्रावधान "।

धारा 240 की उप-धारा (1) के तहत, विनियम बनाने की शक्ति दो आवश्यकताओं द्वारा सशर्त है: पहला, विनियमों को आई. बी. सी. के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए और दूसरा, विनियमों को लागू करने के लिए होना चाहिए।

आई. बी. सी. के प्रावधानों को बाहर निकालें। विनियमन 2 बी आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुरूप होने और आई. बी. सी. में बनाए जाने दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इस निर्णय में पहले चर्चा किए गए कारणों के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों को लागू करने का आदेश।

एक स्पष्टीकरणात्मक अभ्यास

84. विनियमन 2 बी के लिए चुनौती का प्रमुख आधार यह है कि विनियमन ने आई. बी. बी. आई. के अधिकार का उल्लंघन किया है।

2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में अयोग्यता या अयोग्यता। यह आग्रह किया गया है कि आई. बी. बी. आई., आई. बी. सी. द्वारा गठित एक इकाई के रूप में, 2013 के अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों में संशोधन करने या धारा 230 के दायरे में काम करने वाले प्रतिबंध लगाने के लिए कोई वैधानिक अधिकार क्षेत्र नहीं था। हमारे विचार में स्थिति पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है, जो विनियमन 2 बी के प्रावधानों से स्वतंत्र है।

अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परिसमापन प्रक्रिया। समझौता या व्यवस्था की योजना का उद्देश्य कंपनी को पुनर्जीवित करना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था पूर्ववर्ती धारा 391 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए मेघालय गृह (उपर्युक्त) में निर्णय। वही तर्क जो व्याप्त है

अध्याय II के तहत समाधान प्रक्रिया (धारा 29ए के प्रावधानों के आधार पर) अध्याय III के तहत परिसमापन प्रक्रिया में प्रवेश करती है। धारा 35 (1) (च) के प्रावधान। यह स्थिति होने के नाते, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विनियमन 2बी का परंतुक स्पष्ट करने वाला है।

प्रकृति। परंतुक के अभाव में भी, एक व्यक्ति जो धारा 29ए के तहत अयोग्य है, उसे समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं होगी। 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत। इसलिए हम विनियमन 2बी की वैधता को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

ई उपसंहार

85. हमारे फैसले के पैराग्राफ 24 में, हमने उन दो मुद्दों को नोट किया जिन्हें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पहली अपील में विवादित फैसले में तैयार किया गया था। पहला मुद्दा था "क्या [आई. बी. सी.] के तहत परिसमापन कार्यवाही में समझौता और व्यवस्था की योजना [2013 के अधिनियम] की धारा 230 से 232 के संदर्भ में बनाई जा सकती है"। जबकि हमने पैराग्राफ 25 में उल्लेख किया है कि इस मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। हमारे लिए इस मुद्दे और एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप के बड़े मुद्दे के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना अनिवार्य है।

आई. बी. सी. के तहत विवादों का न्यायनिर्णयन करना।

86. शुरुआत में, हम फरवरी 2020 की अपनी रिपोर्ट में दिवाला विधि समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहेंगे।

समिति ने इस बात को स्वीकार करते हुए शुरुआत की कि अधिनियम की धारा 230 से 232 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजनाओं को जारी करना, यहां तक कि परिसमापन से गुजर रही कंपनियों के लिए, ढांचे का हिस्सा नहीं था

46 <HTTPS पर उपलब्ध: //इबिबि। गव. में/अपलोड/संसाधन c6cb71c9f69f66858830630da08e45b4। पी. डी. एफ.> 10 मार्च 2021 को पहुँचा गया [2021] 3 एस. सी. आर.

इस मामले में, क्या आई. बी. सी. की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) के प्रावधान के तहत अयोग्यता भी 2013 के अधिनियम की धारा 230 से जुड़ी है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. बी. आई. के नए नियमों की शुरुआत के साथ दोनों ढांचे में कुछ संरेखण किया है।

87. इसके बाद समिति ने नोट किया कि इस तरह की शुरुआत

आई. बी. सी. के ढांचे में योजनाएं चिंताजनक हो सकती हैं क्योंकि यह सी. आई. आर. पी. के दौरान प्रोत्साहनों को बदल देगी और विनाशकारी देरी का कारण बनेगी, जो अक्सर बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985.47 के तहत प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हालांकि, यह फिर भी उन लाभों को स्वीकार करता है जो ऐसी योजनाओं को प्रदान करने पड़ सकते हैं। फिर भी, समिति यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालती है कि ऐसी योजनाएं, यदि उन्हें लाया जाना है, तो 2013 के अधिनियम के तहत नहीं बल्कि आई. बी. सी. के तहत होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है

इस प्रकार:

" 4.6 ..... तथापि, समिति का विचार था कि

समझौता या निपटान की प्रक्रिया को केवल प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत योजना तंत्र के माध्यम से,

और महसूस किया कि परिसमापक को प्रभाव डालने की शक्ति दी जा सकती है

संहिता के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ उनके दावे। 4.7 व्यवस्था की योजनाओं की असंगतता को देखते हुए

और परिसमापन प्रक्रिया, समिति ने सिफारिश की

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 का सहारा लेना।

व्यवस्था या समझौते की योजनाओं को लागू करने के लिए

परिसमापक को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया विशिष्ट लेनदारों के साथ समझौता या समझौता करना चाहिए।

संहिता के तहत तैयार किया जाए "।

(मूल में जोर)

47 आई. बी. आई. डी, पैरा 4.5 पर।

48 भारतीय संदर्भ में, उमाकांत वरोट्टिल देखें, 'भारत में ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में व्यवस्था की योजना: समस्याएँ और संभावनाएँ (मार्च 2017) एन. यू. एस. कार्यपत्र 2017/005 पर उपलब्ध है। //कानून। नौस। एडयू।

एस. जी./डब्ल्यू. पी.> अरुण कुमार जगरामका बनाम। जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

88. दोनों ढांचे के अनुप्रयोग में अस्पष्टता के कारण, यह अनिवार्य हो गया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाए। द.

89. इस मोड़ पर, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिसमापन प्रक्रिया में धारा 230 के तहत योजनाओं की स्पष्ट मान्यता आई. बी. सी. के तहत वाई शिवराम प्रसाद (ऊपर) में एन. सी. एल. ए. टी. के न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से था। चूँकि इस व्यवस्था की प्रभावकारिता नहीं है

इस मामले में हमारे सामने चुनौती दी गई, हम इसके गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हालाँकि, हम इस अवसर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के लिए सावधानी बरतने की पेशकश करते हैं और

आई. बी. सी. के तहत अपीलीय प्राधिकरण, आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित ढांचे में न्यायिक रूप से हस्तक्षेप करने से क्रमशः। जैसा कि हमने फैसले में पहले उल्लेख किया है, आई. बी. सी. को भारत में दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था को सुधारने के लिए पेश किया गया था। इस प्रकार, यह एक सावधानीपूर्वक विचार किया गया और सुविचारित कानून है जो कानून को हटाने की कोशिश करता है। अतीत की प्रथाएँ। विधायिका अपने अनुभव के आधार पर लगातार संशोधन करके यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि इस कानून की प्रभावशीलता मजबूत रहे। नतीजतन, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. से न्यायिक हस्तक्षेप या नवाचार की आवश्यकता को कम से कम रखा जाना चाहिए और आई. बी. सी. के मूलभूत सिद्धांतों को बाधित नहीं करना चाहिए। दिवालियापन कानून सुधार समिति (2015) की रिपोर्ट में उनकी भूमिका में इस सचेत बदलाव को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया है:

" एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है। सभी बिंदुओं पर, प्रक्रिया का पालन और सभी लागू कानूनों का अनुपालन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दिवालिया पेशेवर को ऋणदाता समिति की सिफारिशों के साथ संस्था के निदेशकों और प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की शक्ति देता है। प्रक्रिया के दौरान सभी भौतिक कार्यों और घटनाओं को दर्ज किया जाता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तुच्छ आवेदनों का आकलन और उन्हें दंडित कर सकता है। न्यायनिर्णायक सुनता है प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धोखाधड़ी पर निर्णय लेगा, विशेष रूप से दिवालियापन को हल करने की प्रक्रिया के दौरान। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के खिलाफ अपील/कार्रवाई

21] 3 एस सी आर।

दिवाला पेशेवर के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है

नियामक/न्यायनिर्णायक।"

90. एक बार फिर, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहां हमारी टिप्पणियां उस मुद्दे के गुण-दोष पर नहीं हैं, जिसे हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि आई. बी. सी. के तहत विवादों पर निर्णय लेने वाली एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की पीठों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करने तक सीमित हैं।

एफ निष्कर्ष

91. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हम पाते हैं कि संसद द्वारा आई. बी. सी. की धारा 29ए और धारा 35 (1) (एफ) में लगाए गए प्रतिबंध को भी 2013 के अधिनियम की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना से जोड़ा जाना चाहिए, जब कंपनी परिसमापन के दौर से गुजर रही है।

आईबीसी के तत्वावधान में। इस प्रकार, परिसमापन प्रक्रिया विनियमों का विनियम 2 बी, विशेष रूप से विनियम 2 बी (1) का परंतुक भी संवैधानिक रूप से मान्य है। उपरोक्त कारणों से, हम इस पर आए हैं निष्कर्ष निकालना कि अपील और रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार दीवानी अपील और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

92. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील और रिट याचिका

खारिज कर दी गई।

निधि जैन